* SHRI M. M. JACOB: It is not from the Government of India ...

SHRI S. S. AHLUWALIA Alcohol is totally under the Government of India.

SHRI M. M. JACOB: It is not alcohol as such. It is poison ... *(Interruptions)* .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): No, no please don't interrupt. Let us not cross-examine the Minister. It is not very fair. *(Interruptions)* Please sit down. The Minister is here to make a statement. *(Interruptions)*

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Uttar Pradesh): There is a clear authority oh the distribution of "alcohol. Alcohol is distributed by the Centre to all the State Governments and they in turn distribute Alcohol to various . enterprises. That is the system. So, the Centre does not directly distribute alcohol to individual entreprises ... (Interruptions)

* SHRI M. M. JACOB: I had made that clear. Again, Sir, there was a question about what action has taken against the people who were found guilty ... *(Interruptions)* .. .1 will answer that question... *(Interrup tions)* ... The SHO of Jahangirpuri was immediately suspended. About the number of victims who died, one hundred and ninety-nine deaths were reported and cheques have been pre pared for 165 people. The next of the kin of some deceased are yet to be traced to pay them compensation. The number of -persons who were blinded is 44 and cheques have been prepared for all the 44 people . . . *(Interruptions)*....

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, दिल्ली में 13 थानों के अंतर्गत यह घटना घटी है। मैं जानना चाहता हूं कि जो इन थानों के स्टेशन इंचार्ज हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्यवाही की गई है? दूसरी बात यह है कि एक एक्साइज इंस्पैक्टर सस्पैंड हुआ। मैं जानना चाहता हूं कि एक्साइज इंस्पैक्टर के ऊपर जो और अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कार्यवाही की है? अगर नहीं की हैं तो उसका कारण क्या है क्योंकि असल में बड़े अधिकारी ही दोषी होते हैं और मार छोटे अधिकारियों पर पड़ती है।

श्री आर० के० धवन (आंध्र प्रदेश) : ऊपर के अधिकारियों को कुछ मालूम नहीं होता, सिर्फ एस०एच०ओ० को मालूम होता है।

SHRI M. M. JACOB: There was a question regarding compensation ... *(Interruptions)* ... Rs. 10000 and Rs. 5000 have been paid to the dead and the blinded...*(Interruptions)*... Again Mr. Yadav, the police is not supposed to take any action here. But there is a procedure... *(Interruptions)* . The Excise Inspector is there, the manu facturing place is there, there are so many other things. It will not be possible for a police officer to check every bottle in the shop... *(Interrup tions)* ... and it is not his job either. *(Interruption).*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): If you have finished then we. can proceed with the clarifications regard-in? the situation arising out of recent
ccmmunal violence at Varanasi....
(Interruptions) .. .Yes,. Mr. Pandey.

CLARIFICATION ON THE STATEMENT MADE BY THE MINISTER. ON COMMUNAL VIOLENCE IN VARANASI

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने दिनांक 8 नवंबर और 13 नवंबर को वाराणसी में अकस्मात जो साम्प्रदायिक दंगे भड़काए गए जिसमें दर्जनों व्यक्ति मारे गए और सैकड़ों

लोग घायल हुए, उसके संबंध में जो वक्तव्य दिया है, उस पर मैं अपनी जिज्ञासा प्रकट करने के लिए आपके आदेश से खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं कल और परसों बनारस में था। बनारस मेरी जन्मभूमि है, कर्म-भूमि है और मैं वहां जो लोग जेल में थे उनको देखने गया। जिला कारागार में कुल 160 मुसलमान और 17 हिन्दू कौम के लोग बंद हैं। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनमें से 3 को कबीर चौरा अस्पताल में, एक को डा० मोहसिना सुंदरलाल अस्पताल के प्राइवेट वार्ड नं० 8 में भरती किया गया है। जिला कारागार में जब मैं पहुंचा तो वहां एक बैरक में करीब 84 मुसलमान एक साथ बंद पाए गए और वहां मदन पुरा के प्रतिष्ठित नागरिक डा० मोइउद्दीन ने मुझे बताया कि इन लोगों को पुलिस ने, पी०ए०सी० वालों ने निर्ममता से पीटा। उन पर 302, 307 और 405 जैसी आपराधिक धाराओं में मुकदमे चलाए गए हैं। डा० मोइउद्दीन ने बताया कि पुलिस की मार से गंभीर रूप से घायल डा० अनीस को जब जेल लाया गया तो वे मर चुके थे और यही कारण है कि जेल में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया है। पुलिस ने, पी०ए०सी० ने मिलकर उनके दोनों हाथ पैर तोड़ दिए। पूरे परिवार के मर्दों की पिटाई की गई। घर में नाबालिग बच्चों को भी पकड़ लिया गया। घर के दरवाजे तोड़कर उन्होंने वहां उपद्रव मचाया। गिरफ्तार लोगों में बाद 72 वर्ष के अब्दुल कलाम के दोनों पैरों और हाथों की हड्डी टूट गई। 40 वर्षीय सुलेमान मुफती की कमर की हड्डी टूट गई। जिला कारागार में जो बंद मुसलमान थे उन्होंने बताया कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं उनके पैर तोड़ दिए गए हैं, सिरों में दो दो इंच के गहरे घाव हुए हैं। उनका ठीक इलाज भी नहीं हो रहा है।

श्रीमन्, जिला कारागार में हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने दीवार पर भगवान राम का चित्र बना दिया है और उस गोल चित्र के बाहर हनुमान हाथ जोड़े खड़े हैं और जय श्री राम, जय श्री राम चारों ओर गोलार्ध में लिखा हुआ है... (**व्यवधान**)

श्री अरविन्द गणेश कुलकर्णी (महाराष्ट्र) : पांडे जी यहां श्री राम नहीं हैं, यहां से सब भाग गए। ... (**व्यवधान**)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मैं वस्तुस्थिति बता रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकार को जो रिपोर्ट दे रही है, वह सरासर गलत है, बेबुनियाद है। ... (**व्यवधान**)

श्रीमन्, मैं जब वहां पहुंचा तो लोग नमाज पढ़ रहे थे। वहां पर एक पर्दा डाल रखा था। जैसे ही नमाज खत्म हुई तो वह पर्दा हटा दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या उत्तर प्रदेश के कारागार में कोई आदेश दिया गया है कि बैरकों में ऐसा किया जाए? भगवान राम पूज्य हैं, सब उनकी पूजा करते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिन्दू हो, राम हो, रहीम हो, रामजे हो सब उनको मानते हैं। श्रीराम के दूत हैं। इस तरह की साम्प्रदायिक भावनाओं के चित्र क्यों जेलों में बनवाये गये हैं, यह मैं जानना चाहता हूं। कारागार में बंद मुसलमानों ने मुझे बताया कि बनियाबाग में जब चुनाव हो रहे थे उस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के शत्रुघ्न सिन्हा आने वाले थे लेकिन वह नहीं गये। तभी वहां * ...

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश) : कौन से चुनाव?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : यह जो अभी जनरल इलेक्शन हुए थे। उस समय उन्होंने कहा था कि चुनाव जीतने के बाद मैं बताऊंगा। कुछ डिस्टर्बेंस हुई। बनियाबाग के पास काफी संख्या मुसलमानों की है। उनका कहा हुआ टेप रिकार्ड में मौजूद है। जरूरत पड़ेगी तो मुसलमानों ने वचन दिया है वह उसे सुना सकते हैं। उन्होंने कहा था

*Expunged as ordered by the Chair.

कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चलवा दूंगा, ईंट से ईंट बजवा दूंगा। 13 नवम्बर को अपनी उपस्थिति में....

श्री संघ प्रिय गौतम : चेयरमैन साहब यह क्लेरिफिकेशन नहीं पूछ रहे हैं। इनके द्वारा समर्थित श्री मुलायम सिंह की सरकार के समय यदि यह हुआ तो उन्होंने उनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया ?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : * क्योंकि वह पुलिस में डी०आई०जी० रहे हैं और विश्व हिन्दू परिषद् के वह उपाध्यक्ष हैं, * आप देखेंगे कि माया पत्रिका के नवम्बर अंक में राम मन्दिर के कार-सेवकों का जो चित्र छपा है उसमें सारे साधुओं का चित्र है और एक मात्र दीक्षित जी उसमें कुर्ता-धोती पहने हुए बैठे हैं।

श्री संघ प्रिय गौतम : क्या लोक सभा के सदस्य की चर्चा यहां हो सकती है ?

डा० रत्नाकर पाण्डेय : * कि किस तरह से एक्शन किया जाए। मैं यह सदन को बताना चाहता हूं कि पूरा आपरेशन करके मुसलमानों पर आक्रमण कराया है। इतना ही नहीं एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य की ओर मैं माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अयोध्या में राम मन्दिर बनवाने में भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। वह झूठी साबित हो चुकी है। मन्दिरों को तोड़ने के बावजूद भी वहां राम मन्दिर नहीं बना है। दो साल पहले इनके बजरंग दल और विश्व हिन्दू परिषद के लोगों को बनारस के एडमिनिस्ट्रेशन ने पकड़ा था। इन लोगों को ज्ञानमाफी मस्जिद जो विश्वनाथ मन्दिर के पास है, को उड़ाने की साजिश करते हुए पकड़ा था। मस्जिद का नाम लेकर बनारस को अशांत करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यही कारण है 15 नवम्बर को नगर में कर्फ्यू के दौरान दुर्गावाहिनी की चार महिलाओं को हैंड ग्रेनेड के साथ पुलिस ने पकड़ा। वे ज्ञानमाफी मस्जिद को उड़ाने की साजिश कर रही थीं। बाद में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर उनको छोड़ दिया गया। इस रहस्य पर प्रशासन ने पर्दा डाला। इतना ही नहीं सारे प्रशासनिक अधिकारियों ने ...(**समय की घंटी**) मेरे नगर का मामला है। जो मेरे नगर को लेकर मामला चला है....

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मालोदकर) : यह डिबेट नहीं है। आप क्लेरिफिकेशन पूछिये।

डा. रत्नाकर पांडेय : दो मिनट का समय और चाहिये।

श्री कैलाश नारायण सारंग (मध्य प्रदेश) : आप भाषण मत करिये, क्लेरि-फिकेशन पूछिये।

डा० रत्नाकर पांडेय : जो वहां की अथोरिटीज हैं यानी वहां के कमिश्नर साहब, वहां के डी०आई०जी० से मेरी बात हुई। कमिश्नर और कलेक्टर साहब कल मेरे पास आये थे। जो कुछ उन्होंने मुझे बताया वह सच्चाई मंत्री महोदय को उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दी है। मैं आग्रह करूंगा कि गृह मंत्री जी बनारस की अथोरिटी से सीधे बात करें क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार सच्चाई को दबा रही है और ट्विस्ट करके आपको रिपोर्ट दे रही है। 8 तारीख को जुलूस चला था और आतिशबाजी के साथ चला था। देवनाथपुरा का बाबू पहलवान है, वहां पर चाय की दुकान है। वहां पर तीन हिन्दुओं को चाकू मारा गया। बदौलिया में जुलूस पहुंचा तो मुसलमान भी गहराई से गुस्से में थे जिसमें 6 लोग मारे गये और 9 घायल हुए। यह 8-11-91 की घटना है, और टेंशन बढ़ता गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि हीरोयन का एक किलो का दाम 39 लाख रुपया है। जहां यह घटना घटी है उस गली में

*Expunged as ordered- *by* tha Chair.

[डा० रत्नाकर पांडेय]

अन्नु मस्जिद के पास हीरोयन खरीदने के लिए एक आदमी गया। बनारस में हीरोयन की तस्करी का अड्डा है। इसको बढ़ावा देने का काम कुछ सफ़ेद पोश लोग करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, उनकी विजीलेन्स के द्वारा जांच होनी चाहिये। यह दो माफिया गिरोहों का झगड़ा है। कुछ मुसलमान लड़के बम बनाते हुए पकड़े गये... (व्यवधान)। मिनिस्टर साहब बतायें कि इसका कौन सरगना है। बदोरिया में भी दुष्काण्ड हुआ। वहां पर एक फ़ंक्शन हो रहा था।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मसोदकर) : पांडेय जी, अब आप समाप्त कीजिये।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : यह 8 से 13 तारीख की बीच की घटना है। 12 तारीख को छठी का व्रत चल रहा था। प्रशासन ने पूरी शांति बनाये रखी। 13 तारीख को कर्फ्यू में ढ़ाई बजे दुकानें बंद हुई। 30-40 लड़के बम चाकू लेकर चले। 12 हिन्दुओं को चाकू लगा और 7 मरे और 12 हिन्दू घायल हुए। रेवड़ी तालाब पर स्टेबिंग हुई। जमालबाड़े के घर में से दो लोग घुसे। पत्थर और शीशे के बोतल चले, बम फेंके गये और एस०डी०एम० और एसए०स०पी० (सीटी) भी घायल हुए। दो हजार हिन्दू बदोरिया में उत्तेजित थे। मदनपुरा और सुनारपुरा के बीच में देवनाथपुरा का जुलूस निकलता है और जब जब भी वह देवनाथपुरा का जुलूस निकलता है तो मदनपुरा से सौ गज की दूरी पर इस प्रकार का काण्ड होता है। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच होनी चाहिए। इस लिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वहां पर वे एक मजबूत पुलिस पोस्ट बनायें ताकि इस प्रकार की घटना करने की कोई हिम्मत न कर सके। मैं खुले शब्दों मे यह कहना चाहता हूं कि बी०जे०पी० ने छः सौ करोड़ रुपये राम मंदिर के निर्माण के लिए प्राप्त किया है और चन्दा भी इकट्ठा किया है जिसमें अमेरिकी डालर भी हैं। इसमें ओवरसीज बी.ज.पी. और बजरंग दल के लोग भी हैं। सुनियोजित ढंग से बनारस की शांति को भंग करके जो वहां पर विश्वनाथ के मंदिर के पास मस्जिद बनी हुई है उसको ये लोग गिराना चाहते हैं... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : [illegible]

Hereafter nothing will go on record. DR. RATNAKAR PANDEY: **

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Hon. Members, I want a minute from you. If we go on like this, I do not know whether We will be within the scope of clarifications.

डा. रत्नाकर पाण्डेय : वहां आग लगी हुई है इसलिये इस सदन के माध्यम से देश को अवगत कराना मेरा कर्तव्य है। आपने समय दिया इसके लिये बहुत बहुत धन्यवाद। ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश नारायण सारंग : फ़ैसला हो गया कि कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। ...(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पांडेय : आप.. (व्यवधान)...धर्म की आड़ लेकर आप इस देश को बरबाद करना चाहते हैं। ....(व्यवधान).....

डा० कैलाश नारायण सारंग : जनता ने फ़ैसला किया है, हमने फ़ैसला नहीं किया। ....(व्यवधान)....

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : पाण्डेय जी बैठिये। ... (व्यवधान)..

**Not recorded.

श्री कैलाश नारायण सारंग : उप-सभाध्यक्ष महोदय, पहले इनको बिठाइये।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आप भी बैठिये, उनको भी बिठाऊंगा।

I need not remind Members that when I am on my legs, both of you should listen. We cannot be carried away by the sentiments of Varanasi. We have to carry on our own business.

SHRI A. G. KULKARNI: But let them start their about again; we want to hear them.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : महोदय, वाराणसी में जिस प्रकार से घटनायें कराई गई हैं वह एक सोची समझी राजनीति के तहत हैं। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिन्दू परिषद और उनके सहयोगी दलों का हाथ है। महोदय, इन लोगों की राजनीति बहुत संकीर्ण राजनीति है और धर्म की राजनीति से जोड़कर जिस प्रकार से ये राजनीति की रोटी सेकने का काम करते रहे हैं, उसकी कड़ी में बनारस में इस तरह का शर्मनाक कांड कराया गया है। महोदय, राज्य सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आयी है वास्तविक रूप से यह बिल्कुल भी सही नहीं है। उसमें जिस तरह से गिरफ्तारियों की बात की गई यह सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की गयी है कि सचमुच में गिरफ्तारी में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। मैं बहुत स्पष्टरूप से कहना चाहता हूं कि वहां पर इनकी सरकार है और इनकी सरकार की तरफ से यह सारा काम हो रहा है। इस देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उन लोगों के साथ अन्याय करके, उनके मन में शंका भय और आंतक का वातावरण पैदा करके इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा नहीं की जा सकती है। इस लिये एक ओर जहां पर और लोगों के हितों की बात करनी है वहीं पर माइनारिटीज के हितों पर भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। वे इस देश के सच्चे नागरिक हैं, इस बात को ध्यान में रखकर हमें, आपको और सभी पार्टी के लोगों को सब को साथ लेकर चलने का काम करना है। लेकिन वहां पर गिरफ्तारियों में भी भेदभाव वहां के प्रशासन और सरकार की तरफ से किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर भेदभाव का कारण क्या है? मेरी दृष्टि में केवल एक यह बात आती है कि सचमुच में जिस भेदभाव के तहत यह लोग हिन्दू संवेदना को उभाड़ कर राजनीति करने का काम कर रहे हैं उसी तरफ से वहां पर प्रशासन पर दबाव डाल कर इस तरह की बात कराई गई है। दूसरी बात यह है कि सचमुच में पी०ए०सी० के खिलाफ बराबर इस तरह की बात चली आ रही है कि जहां कहीं भी रायट होते हैं, पी०ए०सी० का रोल बहुत ही गंदा दिखाई देता है। इस तरह की बातें बराबर सामने आती रहती हैं। पिछले दिनों जिस तरह से घटनाएं घटी हैं और ज्यूडिशियल एक्वायरीज की रिपोर्टें भी आई है, जिस तरह पी०ए०सी० के बारे में बातें कही गई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उन जगहों पर विशेष रूप से जहां पर तनाव था, जहां पर इस तरह की बातें थी, उन में सी०आर०पी०एफ० क्यों नहीं लगाई गई? मैं यह जानना चाहता हूं। तीसरी बात यह है कि जब इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, बराबर यह बात आ रही है तो कांग्रेस पार्टी का यह सोचना है और चुनाव घोषणा-पत्र में भी कहा गया है कि हम ऐसे समय में जहां कहीं भी साम्प्रदायिक दंगा हो जाए, कुछ ऐसी ताकतें हैं जो दंगा करा कर अपनी राजनीति करना चाहते हैं, लोगों के मन में विश्ववास पैदा करने के लिए और प्रशासन के मान में विश्वास जमा करने के लिए जरूरी है कि एक ऐसी फोर्स बनाई जाए, जिस फोर्स के आधार पर जल्द से जल्द तत्काल वहां पहुंच कर ऐसे तत्वों से निपटने का काम किया जाए। इस लिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में सरकार गम्भीरता के साथ विचार कर रही है और ऐसी फोर्स बनाने का काम कर रही है जिसमें सामजस्य होगा, वह सैन्यबल केवल दंगों से निपटने के लिए रहेगा। यदि ऐसी स्थिति आ जाती है

[श्री राम नरेश यादव]

को उससे निपटने के लिए चुनाव घोषणा पत्र के अनुरूप क्या माननीय मंत्री जी सदन को अपने विश्वास में लेकर के यह बताने का काम करेंगे कि सरकार इस दिशा में गम्भीरता से विचार कर रही है और कदम उठाने जा रही है । चौथा प्रश्न यह है कि जब इस तरह की स्थिति आती है तो इस में दलीय भावना से ऊपर उठ कर के बात करनी चाहिये । अभी जिस तरह से पूरा देश और हम सब लोग चाहते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसा वातावरण बने, ऐसा बदलाव आए जिससे साम्प्रदायिक सदभाव हो जाएगा दूसरीतरफ बी०जे० पी० के लोग, विश्व हिन्दू परिषद् के लोग अयोध्या में फिर कह रहे हैं कि हम कानून में परिवर्तन करेंगे क्योंकि कानून में परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार को है । इस बात को ध्यान में रखते हुए चूंकि यह साम्प्रदायिक सदभाव लाने का सवाल है, राष्ट्र की एकता और अखण्डता का सवाल है, पूरे समाज को साथ ले कर के देश को बनाने का सवाल है, इसके परिप्रेक्ष्य में क्या प्रदेश सरकार को आप निर्देशित करेंगे कि वह ऐसा कोई काम न करें जिससे फिर साम्प्रदायिक तनाव फैले और फिर एक दूसरी आंच प्रदेश और पूरे देश के पैमाने पर आए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से उत्तर चाहता हूं ।

मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी: (उत्तर प्रदेश) : शुक्रिया मिस्टर वाइस चेयरमैन । बनारस की सरजमीं पर एक बार फिर जुल्मो-सितम के शरारे आदमीयत के ईवान, इन्सानी जानों को जला कर के खाकेरता करने में कामयाब हो गए हैं । मैं अर्ज करना चाहता हूं-

यह हिन्दू का कत्ल है न मुसलमां का कत्ल है,
ये दुश्मनाने हिन्द यह इन्सां का कत्ल है ।

इसलिए मैं अर्ज करता हूं कि य०पी० की जालिम पी०ए०सी० जिस के ऊपर भाई-नारिटीज का बिलकुल ही भरोसा नहीं रह गया है, उसी के साथ, हमारे भाई साहब अगर नाराज न हों, सफाई के साथ कहना चाहूंगा कि बी०जे०पी० के कुछ फिरका-परस्तों ने मिल कर मदनपुरा और बनारस के मुसलमानों के साथ बहशतों बरबरियत का वह मजाक किया जिस गंदी दरिंदगी को देखते हुए हलाकू और हिटलर के जुल्मों को भी हम शर्म से पानी पानी हो हुए देख रहे हैं । मैं कोई तकरीर न करके इन हालात की रोशनी में माननीय स्टेट होम मिनिस्टर साहब के बयान की रोशनी में चंद बातों की वजाहत चाहूंगा । एक तो वह है कि जब यह बात उन्होंने अपने बयान में सतलीम कर ली है कि 8 नवम्बर को असामाजिक तत्वों ने लूटपाट की तो यह बताया जाए कि 8 नवम्बर से 13 नवम्बर तक के लिए क्या असामाजिक तत्व गिरफ्तार किये गये ? नम्बर दो, जिन पुलिस कर्मियों की हिरासत में डा० अनीस की मौत हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई नम्बर तीन, यह कहा जा चुका है कि पी०ए०सी० एक जालिम फोर्स है और मुसलमानों को उस पर कतई भरोसा नहीं रह गया है, इसके बावजूद उस फसाद में जहां एकतरफा मुस्लिम नस्लकुशी हो रही थी आखिर पी०ए०सी० की 13 कम्पनियां क्यों लगाई गई ? जब वजीरे दाखिला खुद वह फरमा रहे हैं कि सूबाई हुकूमत से जो सूचना हमें मिल रही है वह सदन के सभा पटल पर रख रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने आई०बी० से सूचना मांगी जो मरकजी सरकार के तहत पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। बनारस की सरजमीन पर जुल्मों सितम की वह घटाएं उठीं और नफरती बहशत का वह बादल बरसा है कि आज पूरे हिंदुस्तान में इन्सानियत कराह कर रह गयी है, पार्लियामेंट लरज उठा है । ऐसी सूरत में एक बात और कहकर आपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि जनता दल की जब मरकजी सरकार थी तो इस तरह से दंगों में मारे जाने वाले लोगों को 50 हजार रुपये दिये जाते थे और उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह की सरकार ने दंगों में मारे जाने वाले लोगों के वरसा को एक एक लाख रुपये देने का ऐलान किया था । आज क्या बात है कि बनारस की धरती पर इंसानियत दम तोड़ चुकी है और उसके वरसा को हमारी मरकजी

सरकार सिर्फ 30 हजार रुपये देने की बात कर रही है ...(व्यवधान)

नहीं, मैं तो बारहा हाउस में कह चुका हूं कि मैं फसादात को हिंदू मुस्लिम की निगाह से देखने का कायल ही नहीं हूं। हिंदुस्तान में हिंदू-मुसलमान नहीं मारा जाता है, हिंदुस्तान मारा जाता है। हमारे लिए एक हिंदू का मरना भी उतना ही दुखदायी है जितना एक मुसलमान का पीड़ित होना और मरना दुखदायी है। हम हिंदुस्तान की तबाही और बरबादी से हिंदुस्तान को उस वक्त तक बाहर नहीं निकाल सकते हैं जब तक कि इस मुल्क के हिन्दू का "ह" और मुसलमान का "म" मिलाकर "हम" न बना दें। जो असामाजिक तत्व हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों की एकता को तोड़ रहे हैं सरकार उनके तमाम जुल्मों सितम को जान चुकी है उसके बावजूद उनके खिलाफ कार्यवाहियां क्यों नहीं होती हैं यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और साथ ही साथ दो तीन मतालबात भी मैं मंत्री जी के सामने रखता हूं ताकि हलाकशुदगान के वर्सान को एक लाख रुपया मरकजी सरकार दे और जो लोग शदीद मजरूह हुए हैं उन्हें 50 हजार रुपये कम से कम दिये जाएं। नम्बर दो, अदालती जांच की मुद्दत ज्यादा से ज्यादा एक महीने की रखी जाए और जांच में हुकूमते उत्तर प्रदेश के रोल और जिला प्रशासन की तमाम कार्यवाहियों के साथ इस बात की जांच करवाई जाए कि 8 नवम्बर से 13 नवम्बर तक बलवाइयों के खिलाफ जिला हुक्काम ने क्या कार्यवाही की। नम्बर तीन, मैं डिमांड करता हूं कि तमाम पार्टियों के मेम्बरान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल एक वफ्द फौरन वाराणसी के लिए भेजा जाए जो सही और सच्ची रिपोर्ट आकर सदन में सभापटल पर रखे, इसलिए कि यू०पी० गवर्नमेंट ने जब खुद ही फसाद करवाया है तो एक फसादी और कातिल से खुद उसकी सच्ची रिपोर्ट नहीं आ सकती। फसाद के तमाम जांच का काम शुरू होने से पहले वहां के एस०एस०पी०, ए०डी०एम० और डी०एम० को फौरन वहां से हटाया जाए, दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए और इन हालात का दायरा में आगे इस तरह के फसादात न हों इसके लिए मेरा मतालबा है कि एक जमाने से जो बात हाउस में एण्टी रायट फोर्स के नाम से चली आ रही है, अब वक्त आ गया है कि उसकी तकमील की जाए ताकि इस मुल्क के हिंदू मुसलमान अपनी मुश्तरिका गंगो जमुनी तहजीब की विरासत के साथ हिंदुस्तान को नेक नामियों के माहौल में ले जा सकें। शुक्रिया।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, साम्प्रदायिक दंगे और साम्प्रदायिक तनाव इस समय इस देश में संक्रामक रोग की तरफ फैल गये हैं। बनारस में जो कुछ भी हुआ यह इस बात का संकेत है कि अगर इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया गया तो भविष्य में इन्सान इन्सान का कत्ल करता रहेगा।

यह जो झगड़ा हुआ 8 नवम्बर को, यह मदनपुरा मुहल्ले के आसपास हुआ। मदनपुरा में 1977 में भी साम्प्रदायिक दंगे हुए थे शायद राम नरेश जी को याद होगा। उसके बाद पिछले मई के महीने में भी वहां पर साम्प्रदायिक तनाव हुआ। जो वाक्यात बताया गया है वक्तव्य में मंत्री जी के कि काली प्रतिमा विसर्जन का जलूस था, उसके साथ पटाखे भी थे और उस पटाखे से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है और उसी वक्त अचानक वहां पर साम्प्रदायिक तनाव फैल जाता है और 8 आदमियों की हत्या उसी वक्त, तुरंत वहां पर कर दी जाती है। मेरा आरोप यह है कि वहां के जिलाधिकारी और ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक या ऐसे अधिकारी जिनका संबंध कानून और व्यवस्था से है, जिम्मेदारी से है अगर वे सतर्क होते तो इस प्रकार की घटना वहां पर हरगिज नहीं होती। क्योंकि यह बहुत ही संवेदनशील इलाका है, हमेशा जलूस को लेकर वहां साम्प्रदायिक झगड़ा और तनाव होता है और इनसान, इनसान का वहां पर कत्लेआम करता है।

तो एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिस जुडिशल इंक्वायरी की बात की गई है, तो यह जुडिशल इंक्वायरी कैसे

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय)

समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है कि शायद

Mr. Jacob, will you kindly listen? You have not been listening at all. I am sorry to say this

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): I am listening,

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): It is my fault. I confess. I was telling him something important.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He has said that he is listening. You may continue.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जूडिशल इंक्वायरी के सिलसिले में मंत्री जी के वक्तव्य में है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको सूचित किया है कि वह जूडिशल इंक्वायरी बिठाने जा रहे हैं । मैंने समाचार-पत्रों में यह पढ़ा है कि जूडिशल इंक्वायरी शायद उत्तर प्रदेश सरकार का इरादा किसी डिस्ट्रिक्ट जज से कराने का है। मेरा एक प्रश्न तो यह है कि क्या भारत सरकार उत्तर प्रदेश को सलाह देगी कि वह जो न्यायिक जांच कराने जा रही है, वह कम से कम हाई कोर्ट जज के स्तर पर न्यायिक अधिकारी से करवायें।

दूसरे वहां पर 17 आदमियों की हत्या हो गई, 28 आदमी घायल हो गये, 617 लोग पकड़ करके जेल भेज दिये गये और एक डाक्टर अनीस की हत्या, जैसा कि कहा जाता है कि पुलिस की कस्टोडी में हुई और नजीर बनारसी, जो राष्ट्रीय स्तर के शायर हैं और स्वयं भी उन्होंने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, उनके यह सगे भतीजे हैं ।

तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह जो आरोप लगाया गया है, यह कहां तक सही है कि डाक्टर अनीस को वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और वहां के एस० एस०पी० की मौजूदगी में पुलिस वालों ने मारा और उसके बाद पुलिस की कस्टोडी में ही उनकी मृत्यु हो गई । अगर ऐसा है, तो क्यों नहीं किसी अधिकारी के खिलाफ दफा 302, आई०पी०सी० के अन्तर्गत हत्या का मुकदमा अभी तक दर्ज किया गया ।

आपके वक्तव्य में भी इस बात की चर्चा है कि एक आदमी की पुलिस कस्टोडी में मृत्यु हुई है और मैं समझता हूं कि यह व्यक्ति वही है, डा० अनीस । तो उस संबंध में आज जरूर उत्तर दीजिए और नहीं होता तो कम से कम उत्तर प्रदेश से जानकारी के लिए लिखें ।

तीसरे, यह भी समाचार-पत्रों से मुझे जानकारी हुई और बात भी हुई उन नेताओं से कि वहां की जो सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके जो सांसद हैं या उनके जो अन्य नेता हैं, उनको तो झगड़े वाले इलाके या जो प्रभावित इलाके थे, वहां पर जाने दिया वहां के अधिकारियों ने, लेकिन जब विपक्ष के नेता, विश्वनाथ प्रताप सिंह, अजीत सिंह या हमारी पार्टी के बनारस के वहां से जो मंत्री थे, शतरूद्र प्रकाश, जब यह लोग वहां गये, तो अधिकारियों ने उनको वहां पर जाने की अनुमति नहीं दी ।

तो ऐसा भेदभावपूर्ण, पक्षपातपूर्ण रवैया क्यों अपनाया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ? इस सिलसिले में जरूर जानकारी करके उनको केंद्र सरकार को बतलाना चाहिए ।

मंत्री जी ने इस बात की अपनी स्टेटमेंट में चर्चा की है—मैं समझता हूं कि वह यह न करते तो अच्छा होता—कि ला एंड आर्डर इज ए स्टेट सबजैक्ट । तो यह जो कम्यूनल रायट है, यह कोई ला एंड आर्डर से संबंधित विषय नहीं है, यह तो एक राष्ट्रीय समस्या है, एक कम्यूनल हार्मनी का विषय है और केंद्र सरकार को भी इसको कानून और व्यवस्था की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए । अभी हाल में रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद को लेकर के राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक बुलाई गई थी । तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह

जो सांप्रदायिक तनाव उत्तर प्रदेश में कई जगह झगड़े हो चुके हैं—बनारस में हुए, हाथरस में हुए, इलाहाबाद में सांप्रदायिक तनाव था, कम से कम आधी दर्जन जिलों में वहां सांप्रदायिक दंगे हो चुके हैं । यह सांप्रदायिक तनाव आज भी वहां पर है । (समय की घंटी)

तो मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय एकता परिषद् है, क्या उसकी बैठक इस विषय पर विचार करने के लिए कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव का वातावरण कायम हो और सांप्रदायिक तनाव दूर हो, तो क्या निकट भविष्य में नेशनल इंटेग्रेशन कौंसिल की बैठक बुलाने का इरादा इस सरकार का है ?

डा० अरार अहमद (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जो स्टेटमेंट माननीय मंत्री जी ने दिया है, वह हिंदी में दिया है । उसमें पहला सेंटेंस है—राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार—यह लिखा हुआ है । तो जो स्वयं झगड़े में इन्वाल्वड हो, जो सरकार स्वयं झगड़े को कराने के लिए दोषी हो, जो प्रशासन स्वयं इस झगड़े को कराने के लिए दोषी हो, उस प्रशासन से सूचना ली जाए और वह प्रशासन सरकार को सूचना दे और फिर वह सरकार केंद्रीय सरकार को सूचना दे और उसके आधार पर कोई वक्तव्य दिया जाए, तो मैं नहीं समझता कि उस वक्तव्य में कोई सारगर्भित बात यह कोई सच्चाई हो सकती है ।

5.00 P.M.

महोदय, 8 नवंबर को यह झगड़ा हुआ और 16 नवंबर को सारे देश के अन्दर बाय-इलैक्शन होने वाले थे और इस झगड़े का सीधा-सीधा संबंध भारतीय जनता पार्टी ने 16 नवंम्बर को होने वाले चुनाव में राजनैतिक लाभ लेने के लिए जिस प्रकार से जनरल इलैक्शन में उनको मंदिर के नाम से वोट मिले इसी तरह से लोगों की सांप्रदायिक भावनाएं भड़का कर इस मुल्क के अन्दर हिन्दू-मुस्लिम बात पैदा करके वह 16 नवंम्बर को होने वाले चुनाव में वोट हासिल करना चाहती थी। उन्होंने जब 8 नवंबर को झगड़ा कराकर यह देखा कि इससे हम कामयाब नहीं हो रहे हैं तो 13 नवंबर को दोबारा आग के अन्दर तेल डाला गया और झगड़ा छोटी शकल में हुआ था 13 नवंबर को वह झगड़ा एक बड़ी शकल के अन्दर हुआ। वरना 8 नवंबर और 13 नवंबर के बीच 5 रोज गुजर चुके थे। कितने लोगों को उस बीच में पकड़ा, कितनी फोर्स उस बीच लगाई और उस बीच में कितना इंतजाम किया? जबकि 8 तारीख को 4 आदमी मरे और 13 तारीख को 7 आदमी मरे। महोदय यह तो सीधा-सीधा राजनीतिक झगड़ा था जिसके अन्दर भारतीय जनता पार्टी ने 16 तारीख को होने वाले चुनाव के अंदर ... (व्यवधान) महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यही पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस बात को देखा है कि राजनैतिक लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस झगड़े को करवाया और लोगों के खून से होली खेली? माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में एक बात यहां पर कही है कि पुलिस ने अब तक 617 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिसमें 302 व्यक्ति एक समुदाय के और 315 दूसरे समुदाय के हैं। राज्य सरकार ने उनको जो सूचना दी उन्होंने वह सूचना यहां दी यह सेंटेंस लिख करके यह बताने का प्रयास किया है कि दोनों समुदायों के लगभग बराबर-बराबर लोगों को पकड़ा है और यही उनकी गिल्टी कांशस है और यही उनकी अंतरात्मा के अन्दर जो बात छुपी हुई है उसको दबाने के लिए उन्होंने यह बात कही है। उपसभाध्यक्ष महोदय, अगर सच्चाई देखी जाए तो अभी रत्नाकर पाण्डेय जी काफी कुछ सही बोल रहे थे कि वह खुद कारागार के अन्दर जा करके स्थिति देख करके आए हैं। 160 आदमी किसी एक समुदाय के हैं और 17 आदमी दूसरे समुदाय के हैं। मैंने कल ही "जनसत्ता" के अन्दर पढ़ा था कि कुल 185 आदमी वहां पर बंद हैं और मैं उस अखबार को यहां लाया था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने कहा और 185 आदमियों में अधिकांश एक समुदाय के आदमी हैं। तो इस प्रकार की बात यहां माननीय

[डा० अबरार अहमद]

मंत्री जी 22 तारीख को वक्तव्य दे रहे हैं और 22 तारीख के वक्तव्य पर 25 तारीख को स्पष्टीकरण हो रहा है, लेकिन इस प्रकार की गलत बात लिखा जाना या किसी को झूठ-मूठ थानों में बुला लिया हो और उसके बाद भगा दिया हो, लेकिन वास्तव में जिन पर 302 और 307 के मुकदमे बनाए गए हैं वह 185 लोग हैं और उन 185 लोगों में अधिकांश एक समुदाय के लोग हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से अगला माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वह अपने जवाब में यह स्पष्ट करें कि आज की तारीख में कितने लोग बंद हैं और जब उन्होंने समुदायों की बात वक्तव्य में कह दी है तो फिर स्पष्ट बताएं कि किस समुदाय के कितने व्यक्ति बंद थे और वास्तविकता क्या है? अगले चौथे प्वायंट में उन्होंने कहा कि मरने वालों को अमुक राशि दी जा रही है और घायल व्यक्तियों को अमुक राशि दी जा रही है, लेकिन आज तक कितने लोगों को यह राशि दी, यह क्यों नहीं कहते? यह एक ऐसा वक्तव्य है जो अंधकार में है। इससे कुछ पता नहीं लगता कि कितने मरने वालों को यह राशि मिल चुकी है और कितने घायल लोगों को यह राशि मिल चुकी है? क्या यह बात जिला प्रशासन नहीं कह सकता? क्या यह बात इस वक्तव्य के अन्दर नहीं आ सकती?

महोदय, इसके साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जब-जब भी कंबाइंड फोर्स की बात आती है तो कई कार्नरों से इसका विरोध होता है। जब पी०ए०सी० के बारे में आज से नहीं वर्षों से यह बात चल रही है कि वह एक समुदाय के प्रति उसका रवैया ठीक नहीं है। तरह-तरह की घटनाएं चाहे बिहार में हों, उत्तर प्रदेश में हों, वह पहले हो चुकी हैं, फिर क्यों बार-बार उसको लगाया जाता है? कंबाइंड फोर्स क्यों नहीं बनाई जाती है? क्या बुराई है उस कंबाइंड फोर्स के अन्दर जिसके अंदर अगर सभी जाति और सभी धर्मों के लोग हों और वह मिल सद्भाव के लिए काम करें, तो क्यों विरोध होता है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं इस मुल्क के अन्दर एक कंबाइंड फोर्स बनाते हैं जिससे कि बार-बार इस प्रकार की शिकायतें न रहें?

अंतिम बात के रूप में माननीय मंत्री जी से मैं एक बात कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि झगड़ा और दंगा-फसाद तो होकर रह जाता है लेकिन हकीकत में जिन लोगों को परेशानी होती है वह उस झगड़े और दंगे के बाद होती है। मैं राजस्थान का हूं और हम भुक्त-भोगी हैं। लोगों को शक में गिरफ्तार किया जाता है और बाद में उन पर "टाडा" जैसा एक्ट लगा दिया जाता है जिससे उनकी जमानत तक नहीं होती। आज यह झगड़ा हुआ है, ये लोग बंद हैं, मैं कह सकता हूं इस सदन के अन्दर कि इन लोगों पर भी टाडा एक्ट लगेगा और इनकी जमानत नहीं होगी। क्या गारंटी है, मंत्री जी इस बात की कि लोगों पर झूठे मुकदमों में जिनको फंसाया गया है उन पर "टाडा" जैसा एक्ट नहीं लगेगा और एक बात मैं कहना चाहता हूं, अंतिम बात जिस वक्त रिली-जियस बिल सदन में पास हो रहा था, माननीय सिकंदर बख्त साहब ने कहा था कि अगर मंदिर नहीं बना तो जो मन्दिर का विरोध करते हैं, वह लोग देश को तकसीम कर देंगे। माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि 1947 में जब यह मुल्क तकसीम हो रहा था, उस समय जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहा, उस समय उसके पास एक मौका था कि वह इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान चला जाय। वह क्यों नहीं गया, क्यों रहा वह यहां? इस मुल्क में वह इसलिए रहा कि उसको पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत थी। पाकिस्तान से ज्यादा उसने हिंदुस्तान को अच्छा समझा। पाकिस्तान से ज्यादा वफादार वह हिंदुस्तान के लिए था।

में रहा। वह मौका होते हुए भी... **(व्यवधान)** शांति की बात नहीं है, मैं 1947 की बात कर रहा हूं, जब कि एक आदमी के पास मौका था कि वह चाहे तो पाकिस्तान जा सकता था, लेकिन उसने पाकिस्तान को ठोकर मारी और हिंदुस्तान में रहा। क्यों रहा वह हिंदुस्तान में? वह हिंदुस्तान के प्रति पाकिस्तान से ज्यादा वफादार था। हिंदुस्तान से उनको मोहब्बत थी और आज भी वह हिंदुस्तान में है। ... **(व्यवधान)**...आप हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देख लीजिए, जब-जब इस हिंदुस्तान को कुर्बानी की जरूरत पड़ी है तो यह देखा गया है कि वह किसी और से कम नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Pease. This is no carification.

डा० अबरार अहमद: वह इसी हिंदुस्तान में रहेंगे। यहीं मैं अपनी बात खत्म करते हुए, आपने मुझे समय दिया इसके लिए उपसभाध्यक्ष महोदय मे आपका शुक्रिया अदा करता हूं।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: (उत्तर प्रदेश)' मोहतरम् वइस चैयरमेन साहब, सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगा कि वजीरे दाखिला ने जो बयान इस सदन में दिया है, वह उन मालूमात पर मबनी है जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको फराहम की गयी। मैं कोई बहुत लंबी-चौड़ी बात नहीं करूंगा। इस बयान का एक-एक लफ्ज यह साबित करता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इन फसादात के अंदर न सिर्फ मुल्लविस है बल्कि बराहेरास्त जिम्मेदार भी है और उसने इस फसादात के अंदर जानिबदाराना रवैया अख्तियार किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री एम० ए० बेबी) पीठासीन हुए]

उसने एक पक्ष की बाकायदा हिमायत करने की कोशिश की है, यह इस स्टेटमेंट से जाहिर होता है। मैं इस स्टेटमेंट तक अपनी बात सीमित रखना चाहता हूं।

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश)' यह आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं। इसमें नहीं हैं ये बातें।

श्री महोम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: मैं अभी बताता हूं। अगर आप महसूस करें तो उसका जवाब दे दीजिएगा। ...**(व्यवधान)** मैं वही बात कर रहा हूं, अगर आप सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें कहा गया है कि–

"Rumour-mongering by these elements to incidents of brick-batting and stabbing between the two communities. These clashes resulted in the death of eight persons;------- "

यहां साफ तौर पर कहा गया है कि दो फिरकों के अंदर चाकूजनी हुई और पथराव हुआ। उसमें 8 आदमी मारे गए। मैं माननीय होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि जो 8 आदमी 8 तारीख को मारे गए, क्या वे सब-के-सब मुसलमान नहीं थे? क्या उन में से कुछ को जिंदा नहीं जलाया गया था और क्या कुछ के सिरों को पत्थरों से कुचला गया था? अगर वे सब एक ही फिरके से तालुक रखते थे तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि दोनों तरफ से चाकूजनी हुई और दोनों तरफ से झगड़ा और फसाद हुआ, तो फिर एक ही तरफ के लोग क्यों मरे? यह मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल यह है कि 8 तारीख को 8 लोगों की हत्या की बात कही गयी। मकानों की तलाशी ली गयी और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, इस का इस स्टेटमेंट में जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो मालूमात आपको फराम किए, अगर आपने वही दिए हैं तो इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह नहीं बताया कि 8 तारीख को कितने लोग गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने वालों

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल]

वे किस समुदाय के लोग थे? मेरा तीसरा क्लैरिफिकेशन आपसे यह है कि 13 नवंबर ...(व्यवधान)...पढ़ लीजिए, अगर आपने पढ़ा नहीं हो, 13 नवंबर को ...(व्यवधान)...जो दोबारा झगड़ा हुआ है तो मोहतरम् इस फसाद में 7 लोग मारे गए। रत्नाकर पाण्डेय जी ने भी कहा और मेरी मालुमात भी यही है कि सातों-के-सातों हिंदू भाई हैं। यकीनन् वह गुंडा एलीमेंट जो मुसलमानों में भी हो सकता है, उन्होंने ही ऐसा किया होगा, लेकिन 8 लोगों को जब मारा गया..(व्यवधान) मैं उस पर आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आपने जाकर मार दिया। मैं बुनियादी बात कह रहा हूं आप में ताब नहीं है सुनने की तो 8 तारीख को आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया? और, 13 तारीख को जब दंगा हुआ और 7 लोग मारे गए तो इसमें स्टेटमेंट में बताया गया है कि–

"According to the State Government, the curfew was tightened...'[1]

अब तक शायद टाइटेन नहीं था कपर्यू।

"....and the police also under took house-to-house searches to unearth illicit arms, ammunition and explosives. The police have so far arrested 617 persons of which 302 belong to one community and 315 to the other community."

मोहतरम, मेरा सवाल यह है कि 8 तारीख को गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई? और, 13 तारीख को क्यों की गई? यहां ऐसा क्यों बताया गया है कि इन गिरफ्तारियों में 315 लोग एक समुदाय के थे और 302 एक समुदाय के? मैं जानता हूं कि यह चीज दी है तो मुझे यह भी बता दीजिए कि 302 या 315 जो गिरफ्तारियां की गई थीं, उन पर मुकदमें किस-किस दफा के चलाए गए हैं? मैं आपकी जानकारी के लिए यहां यह बताना चाहता हूं कि जिन मुसलमानों को पकड़ा गया है; चाहे वह 302 हैं या 315; इनमें मेजोरिटी के ऊपर कत्ल और इकनामे कत्ल यानी दफा 302 और 307 के मुकदमें लगाए गए हैं और मेजोरिटी कम्युनिटि के जो लोग पकड़े गए हैं उनमें ज्यादातर लोगों पर दफा 153 लगाई गई है। ...(व्यवधान)..

श्री कैलाश नारायण सारंग: जिसने जो किया है उसके विरुद्ध वही धारा लागू होगी।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: अरे, आपको मरवा के फिकवा देंगे ये लोग।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: इनकी अभी इतनी हिम्मत नहीं है, 16 करोड़ मुसलमानों को मरवाना इतना आसान काम नहीं है। पंडित जी, आप घबड़ाते हों तो घबड़ाते हों, हम तो इस मुल्क में घबराते नहीं।

श्री कैलाश नारायण सारंग: आप बिल्कुल सुरक्षित रहिए। हम सुरक्षित रखते हैं भाई।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल: वह तो बता रखा है आपने बनारस में। बनारस में बहुत सुरक्षित रखा है आपने। मैं समझता हूं, यह बहस का मौका नहीं है। ...(व्यवधान) ...अगर इसमें शर्म का मादा है तो बात पूरी सुनें, बीच में डिस्टर्ब न करें। ....(व्यवधान)....मैंने बेशर्म नहीं कहा, मैंने कहा शर्म का अगर मादा है तो सुनिए। मैं कोई अनपार्लियामेंटरी बात नहीं कर रहा हूं।

मोहतरम्, इन्होंने पैरा 4 में लिखा है कि 13 कंपनियां पी०ए०सी० की और 6 कंपनियां सी० आर० पी० एफ० की लगाई गई। मिस्टर वाइस चेयरमेन साहब, आपको यह जानकर हैरत होगी कि 13 की 13 पी० ए०सी० कंपनियां इन्होंने सिर्फ मुस्लिम इलाकों में लगाई और पी०ए० सी० का जो रोल रहा है वह सबको पता है। उस दिन भी, 13 तारीख को भी पी०ए०सी० ने घरों में घुस-घुस कर जिस तरह मां, बहिन,

बेटियों की बेइज्जती की है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। उसके बावजूद क्या वजह है कि जब इनके पास सी०आर०पी०एफ० की कंपनियां भी थीं तो मुस्लिम इलाकों के अंदर इन्होंने सी०आर०पी०एफ० लगाने के बजाय पी०ए० सी० क्यों लगाई? ...(**व्यवधान**)

श्री कैलाश नारायण सारंग : यह वन-साइडेड स्टेटमेंट है।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल : सर, इन्होंने यह भी कहा है कि एम०ज०पी० और एम०एल०एज० को पास दिए गए। यह ** है, सफेद ** हैं क्योंकि मिस्टर वी.पी. सिंह, मिस्टर अजीब सिंह, मिस्टर चन्द्रजीत यादव, तीनों मेम्बरान-पार्लियामेंट हैं, तीनों को कर्फ्यू लगे इलाकों में नहीं घुसने दिया गया। उनको कर्फ्यू पास नहीं दिए गए। इसमें ** का पर्दा फाश होता है। .....

श्री कैलाश नारायण सारंग : यह भड़काने का काम करते हैं। यह भड़काते हैं कम्युनिटी को। ....(**व्यवधान**)...

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मौम अफजल : आपने यह दावा किया है कि हमने एम०पीज० और एम०एल०एज० को कर्फ्यू पास दिए थे। कौन भड़काता है, कौन नहीं भड़काता, यह सवाल इसके अंदर नहीं है, वरना आपको वजाह करनी चाहिए थी कि हमने कुछ लोगों को या एम.पीज. को इसलिए पास नहीं दिए कि ये जाकर वहां एक खास समुदाय को भड़काते हैं। ...(**व्यवधान**)...

मैं दो क्लेरिफिकेशन्स और पूछना चाहता हूं। जैसा कि अबैदुल्ला खान आजमी साहब ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कुछ मालूमात आपको फराहम किए, क्या मंत्री जी आपने उन मालूमात को आई.बी. की रिपोर्ट से टैली किया? क्या आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, उसने आपको जो मालूमात फराहम किए, बहैसियत इस मुल्क के वजीरे दाखिला के, बहैसियत लॉ एण्ड आर्डर के जिम्मेदार होने के, मैं आपसे यह सवाल करता हूं उस हाऊस के माध्यम से कि क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए जो फराहम की गई है, क्या खुद आप उससे मुतमईन हैं? अगर आप मुतमईन हैं तो इसका पार्लियामेंट में ऐलान कीजिए और अगर आपको लगता है कि यह मालूमात ठीक नहीं है तो इसका भी ऐलान कीजिए।

आखिरी क्लेरिफिकेशन, मोहतरम वजीरे दाखिला, आपकी सरकार से है मेरा। मैं यह जानना चाहता हूं कि कांग्रेस (आई) का एक डेलिगेशन, जो उत्तर प्रदेश में बनारस का जायजा लेने के लिए गया, उसके अंदर आपकी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया कि मरकजी वजीर सिविल एसीएशन के मिनिस्टर जनाब माधव राव सिंधिया साथ जाएंगे। माधव राव सिंधिया उस वक्त कलकत्ता में थे। कलकत्ते में उनको कहा गया कि आपको बनारस जाना है। दिल्ली से एक छोटा एयरक्राफ्ट कलकत्ता एयरपोर्ट पर लैंड करता है जिससे माधव राव सिंधिया साहब को बनारस जाना है। 2:00 बजे उनको बनारस जाना था, लेकिन जिसके इशारे पर, किसी हिदायत पर माधव राव सिंधिया साहब को बनारस जाने से रोका गया? जहाज को दिल्ली से कलकत्ता भेजकर फिर खाली वापिस बुला लिया गया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं समझता हूं कि वजीरे दाखिला को इसकी वजाहत करनी चाहिए। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि एक तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी को इस फसादात के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं तो दूसरी तरफ आपकी मुजरिमाना खामोशी भी इस फसादात के लिए जिम्मेदार है। माधव राव सिंधिया का रोका जाना इस बात की दलील है कि आपने भी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार से कुछ नरम रवैया अख्तियार किया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इससे बचना चाहते हैं और कांग्रेस (आई) पर यह

*Expunged as ordered by the Chair.

[श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मोम अफजल]

इल्जाम नहीं लगने देना चाहते हैं कि आपका इन फसादात से बराहे बास्त कोई ताल्लुक है तो होम मिनिस्टर साहब इसकी वजाहत फरमाइए कि माधव राव सिंधिया को कौन सी ताकत थी जिसने बनारस जाने से रोक दिया?

श्री कैलाश नारायण सारंग : जो 40 साल से कांग्रेस करती रही, वही ताकत थी। वही ताकत आज भी है।

श्री संघ प्रिय गौतम: मान्यवर उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का वक्तव्य बड़ा स्पष्ट है। It is self-explanatory in character. लेकिन मेरे दोस्तों ने स्पष्टीकरण पूछने के नाम पर भ्रमात्मक वक्तव्य देकर ऐसा माहौल बना दिया है जिससे मुझे आशंका यह हो गई है कि मंत्री जी कहीं भ्रमित न हो जाएं और कहीं उत्तर इस प्रकार का न दे दें जिससे वक्तव्य की सारी मंशा ही समाप्त हो जाए।

मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर दो बातें यह कहना चाहूंगा कि इस मुल्क में अल्पसंख्यक सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, अकेले मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं हैं। दूसरी बात, मैं यह कहना कहना चाहता हूं। मैं दलगत राजनीति से उठकर यह बात कह रहा हूं। हमारे बहुसंख्यक लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय करके उनको नाखुश रखकर, उन्हें तंग-परेशान रखकर न वह सुखी रह सकते हैं और न यह मुल्क सुखी रह सकता है। आप मुस्लिम शब्द बार-बार कहते हैं। इसलिये मैं यह भी मानता हूं कि जितने भी मुस्लिम हैं, न इनको कंवर्ट किया जा सकता है, न देश निकाला दिया जा सकता है, न इनका कत्लेआम किया जा सकता है.... (व्यवधान) यह इसी देश में रहेंगे।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इनको महा-सागर में डुबो दीजिये।

श्री संघ प्रिय गौतम : बहरहाल इनको रहना यही है और यह अल्पसंख्यक भी जानते हैं कि बहुसंख्यकों के साथ मधुर सम्बन्ध बनाये बगैर यह सुखी नहीं रह सकते। इसलिये जिम्मेदारी दोनों तरफ आयद होती है। मान्यवर, सन् 1947 से आज तक यह साम्प्रदायिक दंगे सारे देश में होते रहे हैं। मेरी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के पहले दिन मुख्य मंत्री कल्याण सिंह ने एलान किया था कि "दंगा रहित प्रदेश और भय मुक्त समाज हम बनायेंगे" फिर भी किसी प्रकार से दंगे हो गये? एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। एडवोकेट से आरम्भ करते हैं। दोनों पक्ष होते हैं। एक पक्ष का मेरे दोस्तों ने आरम्भ भेंट किया है। मैं दूसरा पक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक दंगा हुआ 8 तारीख को और एक हुआ 13 तारीख को। 8 तारीख को दंगा होकर के तुरन्त समाप्त हो गया, उसे तुरन्त दबा दिया गया। 9, 10, 11 व 12 तारीख को कोई भी दंगा नहीं हुआ। मेरी पार्टी की सरकार की सक्षमता देखिये आप। उसने दंगा नहीं होने दिया। The first and foremost duty of a Government is to control crimes and the 'danga' (riots) so to say.

तो दंगा कंट्रोल किया गया। See the efficiency of the Government

गिरफ्तारियां धीरे-धीरे शुरू हुई। लेकिन दूसरे दिन 13 तारीख को सुनियोजित ढंग से दंगा किया गया, जबकि पहले दिन हुआ प्रोवोकेशन से। उसमें एक कम्युनिटी के लोग मारे गये, इसमें दूसरी कम्युनिटी के लोग मारे गये। इन दंगों के बाद तुरन्त नगर के मौहल्लों की तलाशी हुई और जब तलाशी में हथियार बरामदगी के लिये पुलिस और प्रशासन गया, तब उन पर बम फैंके गये, उनको मारा-पीटा गया। तब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मुकदमा कायम किये गये हैं और जेल भेजे गये हैं। मगर माननीय सदस्य-गण अब यहां तस्वीर को बिगाड़कर पेश कर रहे हैं।

मान्यवर, इन सब का अंत क्या हुआ है? आज तक जितने दंगे हुये उसके लिये चर्चा होकर दो ही रास्ते निकले हैं—दोषियों को दंड देने के लिये कमीशन बैठा है और मृतकों को कंपंशेसन दिया गया है।

I agree with the suggestions given by my learned friends that the depen dants of those who have been killed should be adequately compensated.

लेकिन दूसरा क्या है? जुडिशियल इंक्वायरी बिठायी जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने जुडिशियल इंक्वायरी बिठा-दी है। अब जुडिशियल इंक्वायरी में आप चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट जज न होकर हाईकोर्ट का जज हो तो यह भी हो सकता है। I may agree. हमारी पार्टी की गवर्नमेंट को कोई ऐतराज नहीं है। मैं एक विनम्र प्रार्थना इस सदन के सम्मानित सदस्यों से करना चाहता हूं। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से बड़े पिछड़े परिवार से निकलकर पहली बार राज्य सभा में आया हूं। यह हाउस आफ एल्डर्स जाना जाता है। यहां पर प्रतिभायें आती हैं, यहां पर बड़े जिम्मेदार लोग आते हैं। अगर इन सारे बयानों की समीक्षा की जाये तो अनेकों सदस्यों के ऐसे बयान हैं; कि जिनसे ज्यादा भड़काऊ बयान और कोई हो नहीं सकते। मैं विनम्र शब्दों में प्रार्थना करूंगा कि हम सब मिलकर के किस दल की सरकार है इसको छोड़कर कोई तरीका निकालें जिससे इन साम्प्रदायिक दंगों पर कंट्रोल हो जाये और देश में भाई-चारे का माहौल पैदा हो जाए। ....(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: ....(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: छोड़ दीजिये, पांडे जी आप तो प्रधानाचार्य भी हो लेकिन सबसे ज्यादा अनियंत्रित भाषा आप बोलते हो। ...(व्यवधान) सबसे ज्यादा भड़काऊ बात आप कहते हो और वह बात कहते हो जो निरर्थक है; जिसका कोई आधार नहीं है और इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी भाषा पर नियंत्रण कीजिये।

डा० रत्नाकर पांण्डेय: मैं जो कुछ कहता हूं पूरे उत्तरदायित्व से कहता हूं। ऐसी बात मत कीजिये...(व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NAMARA* JAN (Tamil Nadu); I am on a point of order. How can he make a speedy Sir? Is he seeking clarifications or is he making a speech?

डा० रत्नाकर पाण्डेय: पहले मरने दिया फिर भाषण कर रहे हैं.... (व्यवधान) आप कह रहे हैं कि मैं भड़-काऊ बात करता हूं...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: हम बड़ी हिम्मत से सुनते हैं और जवाब देना भी जानते हैं...(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय: सत्य सुनने का साहस होना चाहिए...(व्यवधान) आप सांप्रदायिकता भड़काना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम: महोदया मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रकार की कोई टास्क फोर्स बनाने जा रही है जो दंगों को कंट्रोल कर सके? अगर बनाने जा रही है तो हमारा पूरा योगदान उसमें होगा। धन्यवाद।

डा० रत्नाकर पाण्डेय: * उसके बाद भाषण करते हो ...(व्यवधान) सत्य सुनने का माद्दा होना चाहिए।

* * * *

...(व्यवधान)

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, एक बहुत गैर जिम्मे-दारी की बात अपोजीशन के नेता का नाम लेकर कही गई।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : अपोजीशन के नेता कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, सृष्टि के नियामक हैं ? * ...(व्यवधान)

श्री संघ प्रिय गौतम : जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका नाम आप कैसे ले सकते हैं ?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : सहोदय, पद्धति यह है कि दूसरे सदन के व्यक्ति का नाम लेकर ...(व्यवधान)

डा० रत्नाकरपाण्डेय : * ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री एम० ए० बेबी) : पाण्डेय जी, आप बैठिए ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह आरोप कार्यवाही से निकाला जाए...(व्यवधान)

डा० रत्नाकर पाण्डेय : यह सौ परसेंट सत्य है। अगर मैं एक शब्द भी झूठ बोलूं तो मुझे चाहे जो सजा दीजिए। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। सत्य सुनने का माद्दा होना चाहिए... (व्यवधान)...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : इस सदन की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए सदन के सदस्य के बारे में नहीं बोला जाता। तो जो अपशब्द उन्होंने कहे हैं दूसरे सदन के सदस्य के बारे में, उनको निकाला जाना चाहिए। वह इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि कितना भी शोर मचाएं लेकिन जो सदन की मर्यादा है उसको देखते हुए आप आदेश दें कि वे शब्द निकाल दिए जाएं ...(व्यवधान) आपका मतलब हो गया, आपको अपना गला साफ करना था, आपने कर लिया (व्यवधान)

HRIMATI JAYANTHI NATARA-TAN: He never made any allegations about anybody. (Interruptions). Let me say what I want to say.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Mathur Ji. you have made your point. What the hon Member is objecting to is that Mr.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : वह कह रही हैं कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है। आपत्तिजनक बात कही है कि * । यह गलत है। यह एक्सपंज होना चाहिए...(व्यवधान)

श्रीमती जयंती नटराजन : मेरी बात मुझे कहने दीजिए। Pandey referred to the Members of the other House. If the President of the BJP or senior leaders of the BJP happen to be the Members of the other House, that does'nt mean we cannot refer to them. We have not made any allegations against them.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR; Allegations have been nade.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Mr. Mathur, I am not going to sit down. (Interruptions). Sir, I am just saying that we are talking about facts.

S

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : * यह एलिगेशन है। आपको हिंदी नहीं आती मैडम, बैठ जाइए।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : वे आपको हिंदी पढ़ा सकती हैं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : आपने यह कहा है ...(व्यवधान) आपको हिंदी नहीं आती मैडम, बैठ जाइए। क्यों गड़बड़ कर रही हैं ?

मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : क्या जिसको हिंदी नहीं आती उसको बोलने का हक नहीं है ? आप उनकी अंग्रेजी हिंदी में समझिए।

*Expunged as ordered by the Chair.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : इनको हिंदी में बोलकर बता दो...(व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, the point is all that has been said over here is that. *

SOME HON. MEMBERS: No, no. Sir, she is making allegations.

SHRI RAGHAVJI: Sir, she has made a further allegation. *(Interruptions)* .

श्री कैलाश नारायण सारंग : ये शब्द वापस होनी चाहिए, इनको कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए...(व्यवधान)

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir. only two things were said. * ... *(Interruptions)*.. .Why are you so defensive? Why are you scared of hearing the truth? Are you scared? ... *(Interruptions)*...*If this is wrong let them deny it. If this is right, then it is a fact... *(Interruptions)* ...*If* it is wrong, let them deny it. Let them say 'no'. How can they take it out from the records?... *(Interruptions)* ...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : * जो इन्होंने कहा उसे ऐक्सपंज किया जाना चाहिए नहीं तो मैं कल फिर इस मामले को यहां उठाऊंगा... (व्यवधान)

नो : सारीदे दुल्ला खान आजमी : * इसका मतलब है कि यहां चर्चा नहीं होगी? ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): See, the convention of the House is that generally the names of those who are not present won't be taken. At the same time there were occasions when references were made. Now an hon. Member made certain references and the other side had opportunity to deny it I think the matter can rest there and Satya Bahinji may continue... *(Interruptions)* ...

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR; Sir, it is just... *(Interruption)* ... You cannot give a decision like this. I object to it. Sir. you are mistaken.

महोदय, जब कोई ऐलिगेशन करना चाहता है तो पहले चेयर को नोटिस देना चाहिए। यदि कोई ऐलिगेशन करेगा किसी मैंबर के ऊपर तो पहले चेयर को नोटिस देना चाहिए। इन्होंने नहीं दिया है...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया (बिहार) : * अनपार्लियामेंटरी लैंग्वेज की जो डिक्शनरी है उसमें इनक्लुड किया जाए...(व्यवधान)

DR. JINENDRA KUMAR JAIN (Madhya Pradesh): Sir, your ruling has been ... *(Interruptions)* ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): You have denied them. Now let us proceed further.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: No, Sir. I object to it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Smt. Satya Bahin.

श्री कलाश नारायण सारंग : यह आपकी बुद्धि से ऊपर की बात है... (व्यवधान)

श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित हुए लोगों के प्रति पूरी सहानुभूति रखते हुए पहले मृत व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं और साथ ही साथ यह कहना चाहती हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई जब से.....(व्यवधान)

*Expunged as ordered by the Chair.

SHRI RAGHAVJI: Sir, I am on a point of order.

श्रीमन्, अभी आपने रूलिंग दी कि कई बार ऐसे मौके आए हैं कि जब सदन से बाहर के किसी व्यक्ति का रिफरेन्स होता है, किन्तु यहां तो किसी के खिलाफ एलिगेशन लगाया गया है। संसदीय परंपरा के अनुसार यदि आरोप लगाए जाते हैं तो उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाता है। अब यहां पर आरोप लगाया गया है, आप रिकार्ड का अवलोकन करें, उनमें यदि आपको ऐसा लगता है कि आरोप लगाए गए हैं जो इस सदन की परम्परा के अनुसार उचित नहीं है तो उनको कार्यवाही में से निकाला जाए।

कई माननीय सदस्य: कार्यवाही से निकाला जाए। ...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): See, the records would be gone through. If there are any-serious allegations made, that will be removed.

श्रीमती सत्या बहिन: पहले मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सभा में काफी देर से चर्चा हो रही है, इधर से, उधर से वाद-विवाद चल रहा है। मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि जांच का दायरा है उसमें इस बात को भी लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के कौन-कौन से सांसद दंगे के आपास वहां पर गये थे, उनकी बनारस में क्या मीटिंग हुई थी और मीटिंग में क्या हुआ था और कौन-कौन से लोगों से मिले थे। इसको जांच दायरे में लिया जाना चाहिए। मैं जानना चाहती हूं कि इसको जांच दायरे में लाया जायेगा या नहीं? सारा विश्व जानता है कि दंगों में भाजपा की सरकार का संरक्षण दंगाइयों को रहा है।

श्री कैलाश नारायण सारंग: गलत है।]

श्रीमती सत्या बहिन: स्थिति को खुल कर खेलने दिया गया, खुल कर बिगड़ने दिया गया। दंगाइयों को खुल कर छूट दी गई। उनको सब तरह की सुविधाएं दी गई। जो जुलूस निकलता है उसमें कभी भी आजतक मेरे ख्याल से जब मूर्ति के विसर्जन का समय होता है आतिशबाजी या पटाखे नहीं छोड़ जाते तो वहां क्यों छोड़े गये। क्यों ऐसा करने की उनको इजाजत दी गई। मैं जानना चाहती हूं कि क्या उन लोगों ने इस बात की इजाजत ली थी? दूसरी बात मैं यह जानना चाहती हूं कि वहां पर समाचार पत्रों का रिफरेंस भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों ने दिया है कि फलाना अखबार में यह निकला है और फलाना अखबार में यह निकला है। मैं अखबार के रिफरेंस से ही यह बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य दंगाइयों का नेतृत्व कर रहे थे। मैं जानना चाहती हूं कि उनको पकड़ा गया या नहीं?]

मौलाना अबदुल्ला खान आजमी: मिस्टर शर्मा थे।

श्रीमती सत्या बहिन: स्पष्ट लिखा है कि वह घुस रहे थे। मैं जानना चाहती हूं कि उन लोगों को पकड़ा जायेगा या नहीं? तीसरे मैं यह कहना चाहती हूं कि जिन मुसलमान परिवारों का मोहल्लो में कभी भी दंगों से कोई संबंध नहीं रहता उन लोगों के साथ दंगाइयों ने मार-पीट की। उनके यहां लूटपाट की। जिनके यहां हमेशा से हिन्दुओं को पनाह दी जाती रही दंगों के समय में और जिनके हिन्दुओं के साथ हमेशा अच्छे तालुकात रहे, राष्ट्रीय एकता में, साम्प्रदायिक सदभावना में जिनका बड़ा योगदान रहा उन परिवारों को भी मारा-पीटा गया। उनके ऊपर जुल्म किये गये। आखिर में मैं फिर से गृह मंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि इस बात को जरूर जांच के दायरे में रखें और निष्पक्ष एजेंसी से इसकी जांच करायें कि कौन-कौन लोग थे। चाहे आडवाणी जी हो, दीक्षित जी हों....

श्री संघ प्रिय गौतम: चाहे आपके अपने यहां के लोग हों।

श्रीमती सत्या बहिन : चाहे मैं भी हूं, मेरी पार्टी के लोग हों। लेकिन मेरी पार्टी के लोग कभी दंगा नहीं भड़काते। **(व्यवधान)**। मैं इस सदन के मझ्म से भारतीय जनता पार्टी का नाम भारती साम्प्रदायिक दंगा पार्टी रखती हूं। धन्यवाद।

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय, उपसभाध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी ने बयान दिया है उ बयान में उन्होंने अखबारों की भूमिका क कहीं जिक्र नहीं किया। जबकि हम जानते हैं कि साम्प्रदायिक उत्तेजना के सिलसिले में अखबारों की भूमिका सही और गलत दोनों रही हैं। पिछले वर्ष 30 अक्तूबर और दो नवम्बर के दौरान जो वाक्यात हुए उसके सिलसिले में कुछ अखबारों की एक घृणित और नकारात्मक भूमिका रही। इस सिलसिले में प्रेस कौंसिल ने कुछ अखबारों को लताड़ा भी था। इसलिए जब किसी साम्प्रदायिक माहौल या किसी साम्प्रदायिक स्थिति का जायजा लिया जाए उस समय अगर अखबारों की भूमिका या दूसरे प्रचार माध्यमों की भूमिका को हम छोड़ देते हैं तो हम स्थिति का सही मुआयना नहीं कर पाते हैं। मेरे पास 24 नवम्बर का "पांचजन्य" है। यह राष्ट्रीय सेवक संघ का मुखपत्र है। इस अखबार के प्रथम पृष्ठ पर प्रथम शीर्षक है : "खून से सने बाबरी हाथ।" इसके साथ ही मुख्य पृष्ठ पर लिखा है : "साम्प्रदायिक तत्व अपनी कारगुजारी कर गये, अभी तक वाराणसी में कांग्रेस, जनता दल और भाजपा जैसे प्रमुख दलों का एक भी नेता नहीं पहुंचा है। जब कि यदि यही घटना मुसलमानों के साथ हुई होती तो यही दल हो-हल्ला मचाने में सारे रिकार्ड तोड़ देते।" पत्रकारों की आम संहिता के अन्दर यह आता है और अखबारों की आचार संहिता के अन्दर भी आता है कि जहां कहीं दंगा हो उस दंगे में कौन मारा गया और वह हिन्दू था या मुसलमान, इसका बिलकुल जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। यह बात अखबारों की आचार संहिता का प्रमुख अंग है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस अखबार ने एक बार नहीं दर्जनों बार इस बात का जिक्र किया है कि मुसलमानों ने क्या-क्या किया। इस संबंध में मैं कुछ अंश पढ़ना चाहूंगी। "13 नवम्बर को पुनः सुनियोजित ढंग से दंगा भड़का तो उसके बाद प्रशासन ने तलाशी ली तो मुसलमान परिवारों से हथियारों का जखीरा बरामद किया गया।" इसके साथ ही मैं दूसरी बात भी उद्धृत करना चाहती हूं। इसी अखबार ने लिखा है कि "बनारस में जिस तरह से मुसलमानों ने हिन्दुओं पर घात लगाकर हमला किया और नृशंसतापूर्वक उनकी हत्या की, उस पर तथाकथित सेकुलर पत्रकार चुप क्यों हैं ?" यह बहुत ही गम्भीर मामला है। इन दंगों के चलते मानवता का कत्ल हो रहा है और हमारे देश की एकता और अखण्डता पर प्रश्नचिह्न लग गया है। इस तरह के अखबार हमारे देश में घृणित भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इन साम्प्रदायिक दंगों और इस प्रकार की विकृत रिपोर्टों के जरिये सारे देश में साम्प्रदायिक दंगों का माहौल तैयार करने की जो साम्प्रदायिक ताकतें कोशिश कर रही हैं उसके संबंध में वे क्या कदम उठा रहे हैं ? मुझे पूरा संदेह है कि जिन दिनों बनारस में दंगें हुए, 8 से 13 तारीख को, उन दिनों वहां से निकलने वाले स्थानीय अखबारों की क्या भमिका थी, क्या गृह मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ गया है ? क्या उसका उन्होने जायजा लिया है ? अगर नहीं लिया है, तो क्यों नहीं लिया ?

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि तमाम रिपोट जो हमें देखने को मिलती हैं, जो भी प्रतिनिधि मंडल वहां जाकर रिपोर्ट देते हैं, उससे एक बात स्पष्ट जाहिर होती है कि वहां के पुलिस प्रशासन की भमिका बहुत ही बदनाम भूमिका रही है। यहां तक कि वहां के एस०पी० की भूमिका और जिलाधिकारी की भूमिका और अन्य अधिकारियों और पुलिस की भूमिका पर प्रश्नचिह्न लगा है। आपने अपने बयान में कहा है कि वहां पर पुलिस प्रशासन ने मुस्तैदी से काम किया। लेकिन आपका ध्यान उन रिपोर्टों की तरफ क्यों नहीं गया जिसमें कहा गया है कि शहर के एक विख्यात डाक्टर को पुलिस ने पीटा जिसमें उसकी हत्या हो गई ? आपने पुलिस के खिलाफ कौन-सी कार्यवाही की ? आपको

[श्रीमती सरला माहेश्वरी]

क्या इस बात की जानकारी है कि शहर के घायल लोग अस्पताल में जाने से इंकार करते हैं सिर्फ इस बिना पर कि वे होस्पिटल में नहीं जा सकते हैं क्योंकि प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है ? प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर उनको कोई विश्वास नहीं है । इससे साफ जाहिर है कि पुलिस और प्रशासन व्यवस्था पर किसी एक साम्प्रदाय का और खास तौर पर अल्पसंख्यक साम्प्रदाय का विश्वास उठ गया है । क्या आपने इस संबंध में कोई तहकीकात की है ? अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की है ? यह बहुत ही चिन्ताजनक बात है । अगर शहर में दंगा होता है और शहर का मेयर घर के अन्दर तालाबंद रहता है तो उसकी सुरक्षा के लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है? इन दंगों की गम्भीरता को समझते हुए और आपसी छिछालेदर न करते हुए हमारे देश के अन्दर एकता बनी रही, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए । उन ताकतों को हमें बेनकाब करना चाहिए जो साम्प्रदायिकता फैलाते हैं । सरकार को बिना किसी संकोच के राजनैतिक लाभ और मुनाफा न देखते हुए साम्प्रदायिकता के पीछे जिन ताकतों का हाथ है उनको बनकाब करना चाहिए और उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए । मैं चाहती हूं कि जो जांच कमेटी आपने बैठाई है, उसकी रिपोर्ट जल्दी आनी चाहिए । वाराणसी जैसे संवेदनशील शहर में अच्छा वातावरण बनाना चाहिए और पुलिस को उपयुक्त व्यवस्था करनी चाहिए । इस प्रकार के दंगे वहां क्यों होते हैं जब कि वहां पर नागरिक कमेटी भी बनी हुई है । उसने दंगा रुकवाने की कोशिश की । आश्चर्य की बात यह है कि दो घंटे तक पथराव होता रहा । 8.30 बजे दंगा शुरू हुआ, पथराव हुआ और 12.30 बजे तक राज्य सरकार के मुख्यालय को इसकी खबर नहीं मिली । क्यों नहीं राज्य मुख्यालय के पास खबर नहीं पहुंची ? वहां प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी ? इसलिये उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे निश्चितरूप से संदेश है कि इसमें पुलिस और प्रशासन की बहुत गलत भूमिका रही है । पुलिस और प्रशासन दंगाइयों की भूमिका अदा कर रहे थे । ऐसा है या नहीं है इसकी आप निश्चित रूप से तहकीकात करेंगे और सदन तथा इस देश को सही तथ्यों से अवगत कराएंगे, ऐसी मुझे आशा है ।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Sir, I must thank you for providing this opportunity to ask some clarifications. I must start by expressing my shock and anguish at the death of a number of people and the injuries that have been caused to others in the riots. My heart goes out to them and I only hope that the people will realise the futility of these riots and the extent to which these go to create confusion amongst the people and also attack the unity and the solidarity of the country. As regards the riots which used to take place before the independence of our country, it was said that there were caused by the Britishers because they wanted to divide the people of India. After independence, there should not be any justification for any riot that takes place in the country. But the riots have continued even after independence and there should be detailed study conducted to find out the reasons. Secondly, I would like to submit that some of the religions in India allow people to cause injury or death to people of other religions. In fact all religions preach tolerance. Despite this, the fact is that riots are taking place in this country. This is because hatred is being bred by certain political parties and a certain section of people. It goes without saying that in such cases it is the minorities who suffer. It has also been started by the hon. Minister that one person was killed while in police custody. This is a very serious thing. It has been stated, and it is a very authentic source that the death of Dr. Anis was caused while he was in police custody and not only that, it was done in the presence of the Magistrate. This is a very very serious thing. The' murder had taken

place in the presence of the administration and this is a very serious matter. The hon. Minister should take note of this and must enquire it. Those persons who are involved in this murder must be taken to task. I would also like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that there have been repeated submissions made by the minorities in India that the Provincial Armed Constabulary in UP is not a reliable force and that they have no faith in them. We want an India in which all the people of this country have faith in the administration. This is the strength of our country. We should have ah anti-riot force and should see that the Provincial Armed Constabulary becomes a secular force in which all the communities find representation so that nobody has any grievance against the administration or the Government. There should be a judicial inquiry conducted in such riot-affected areas. The terms of reference of such inquiries should be very wide. The inquiry should also look into such aspects as to whether a particular force has been acting in a manner as to erode the confidence of a certain section of people or a certain community in the administration and in that States.

I would submit one more thing. The compensation which has been awarded is, as has been observed from the past, too low. It should be a lakh of rupees in the case of each person killed. Although this compensation cannot compensate for the loss of life, it cannot compensate any person who may be maimed, yet I "would submit that the little that the Government can do it to give at least a lakh of rupees to those who have suffered death in these riots and compensation to those who have suffered serious injuries should also be enhanced in the present case.

I would like to make one more submission in this august House. We the people of Jammu and Kashmir have acceded to India for her secularism, for her socialism, for the amity between the various communities here and we have not acceded to an India which would fall a prey to communal riots. If in such an India a leader of the stature of Mahatma Gandhi could be killed, then what is the future? Our future and the future of the coming generations is at stake. We have not acceded to an India in which we would be confronted with a scheme to demolish two thousand mosques. I would appeal to those people who are doing all this: "For God's sake, kindly consider the future of India, consider the confidence of the various communities living in India. Are we going to tarnish our image? Are we going to tear India apart by these means India will be strong only if the religious sentiments and the sanctity of religious are maintained and if we go on doing like this and creating these riots or doing other things like demolish mosques and temples, it is not going to do any good to our country."

India is a country the vast majority of the population whereof demands that India should be a secular country. There is no other way out. Therefore, I would submit with all humility that the honourable Minister should take this seriously. Much time has passed. Half-a-century has passed and yet communal riots are not stopped; half-a-century has passed and yet the differences between the various communities are widening. They should be lessened. In that lies the strength of India; in that lies,the future of our country. And, Sir, ultimately, I would say this:

कहता हूं मैं हिन्दू और मुसलमां से यही,
अपनी अपनी रविश पर तुम मिल के रहो,
लाठी, हथ-ए बहार, पानी बन जाओ,
मौजों की तरह रही मगर एक रहो।

श्री रफीक आलम (बिहार) : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही दुख के साथ कहता हूं कि आखिर यह खून की होली कब तक हिन्दुस्तान में खेली जाएगी। कितनी शर्म और अफसोस की बात है कि

[श्री रफीक आलम]

पुलिस लॉक-अप में कलक्टर और एस०पी० मौजूद हैं, दोनों की मौजूदगी में डाक्टर अनीस जैसे आदमी को मारा जाता है। पहले उनके पांव तोड़े जाते हैं, उनके हाथ तोड़े जाते हैं, हिटलर के जर्मनी में ऐसा जुल्म नहीं हुआ था, जितना आज हमारे मुल्क में हो रहा है। आखिर कब तक मुसलमान इस मुल्क में गीदड़, कुत्ते और बिल्ली की तरह मारे जाएंगे ? कब तक कानून सोता रहेगा, कब तक इन्सानियत सोती रहेगी ? आज देश के सामने यह सब से बड़ा सवाल है, यह हिन्दू और मुसलमान का सवाल नहीं है, यह हिन्दुस्तानियों का सवाल है। जब भी मुल्क पर हमला हुआ मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहे। आजादी की लड़ाई में भी किसी से पीछे नहीं रहे लेकिन आज अपने मुल्क में इनको मारा जाता है, पुलिस लॉक अप में मारा जाता है। इसलिए मैं बहुत अफसोस और संजीदगी के साथ सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर यह खूनी ड्रामा कब बन्द होगा ? कब हमारे बच्चे अपने मुल्क को अपना मुल्क समझेंगे ? कब तक हमारे बच्चे इस तरह से मारे जाएंगे ? चाहे हिन्दू भाई का हो या मुसलमान का हो, सवाल हिंदुस्तान का है। अगर किसी मुस्लिम भाई का घर जलता है तो हिंदुस्तान का घर जलता है, अगर किसी हिन्दू भाई का घर जलता है तो भी हिंदुस्तान का घर जलता है। कब तक ये घर जलते रहेंगे ? कब तक यह मुल्क जलता रहेगा। पहले हम अंग्रेजों को कहते थे कि ये फसाद कराते हैं। लेकिन अब अंग्रेजी की कौन सी नाजायज औलाद फसादात कराती है, इसकी तहकीकात की जाए।

इसलिए सवाल यह है कि अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब आपस में भाई भाई न रहें, लड़ते रहें तो मुल्क का क्या हश्र होगा। साथ साथ जबकि हम देख रहे हैं कि दुनियां की तमाम बड़ी ताकतें इस मुल्क को कमजोर करने में लगी हुई हैं और उस वक्त हम लोग अपने में लड़ें तो इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है।

मैं चंद बातें सरकार से पूछना चाहता हूं। चाहे मेरठ में हो चाहे अलीगढ़, कानपुर या बनारस में हो हमेशा पी०ए०सी० ने खूनी ड्रामा खेला है और पी०ए०सी० के खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। क्या इनकी छूट है कि जैसे चाहें कानून हाथ में लें। क्या ये कानून की बंदिश में नहीं हैं। आखिर यह फोर्स कब तक इस तरह से नाजायज तौर पर काम करेगी। इसलिए बहुत सोचने की बात है।

आपकी पुलिस जो है उसको कहा जाता है गार्जियन आफ ला एण्ड आर्डर। जब वह अपने हाथ में ला एण्ड आर्डर लेगी तो ला एण्ड आर्डर रहेगा कहां।

दूसरा, मैं यह कहूंगा कि जूडीशियल इन्कवायरी पर तो अब हमें कोई फेथ नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को मैं बहुत ही साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि जुडीशियल इनकवायरी पर कोई फेथ नहीं है। यह तो सिर्फ टालने की बात है। वाकई अगर सरकार चाहती है, बी०जे०पी० सरकार की नीयत वाकई अगर सही है यू०पी० में तो स्पेशल कोर्ट करे और चाहे कलेक्टर हो, एस०पी० हो जिसने भी फसाद किया हो या कराय हो इन सबका मुल्जिम की हैसियत से ट्रायल होना चाहिए 302 आई०पी०सी० सेक्शन के तहत पी० एस०सी० और इन लोगों का ट्रायल होना चाहिए चूंकि मारने वाला कातिल है न वह मुसलमान है न हिंदू है। वह कातिल है और कातिल को सजा होनी चाहिए।

एक आदमी अगर मारा जाता है तो पूरी मशीनरी आपकी हरकत में आ जाती है लेकिन यहां सामूहिक कत्ल होते हैं और वे लोग कत्ल करते हैं जिनके हाथ में जिम्मेदारी है बचाने की, कत्ल करने की नहीं। ऐसे लोगों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट करके ट्रायल कीजिए और एक या दो अफसरों को भी सजा दीजिए। अगर हम एम०पी० लोग भी जिम्मेदार हैं तो हमको भी सजा दीजिए। कातिल, कातिल है चाहे वह अफसर हो, एम०एल०ए० हो, एम०पी० हो या मिनिस्टर हो, उसको सजा होनी चाहिए। एक मरतबा कड़ाई के साथ आप सजा कर दीजिए तो आईंदा

फिर किसी की इस तरह से हरकत करने की हिम्मत नहीं होगी ।

मैं इसीलिए सरकार से इन्साफ चाहता हूं । बनारस का मामला एक हमारा टेस्ट मामला है और वह एक धार्मिक प्लेस है जहां अधार्मिक काम हो रहा है । श्री रामचन्द्र जी के नाम पर रावण का खेल हो रहा है । ऐसे खेल को बंद करना चाहिए मुल्क की खातिर और कौम की खातिर ।

इन्हीं अल्फाज के साथ, हमारे होम मिनिस्टर यहां मौजूद हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि बनारस का टेस्ट केस लें और आइंदा के लिए मुल्क से फसादात को खत्म कीजिए और चाहे इसमें जो भी मुलिजम हो उनको सजा दीजिए ।

[सरी रफीक आलम (बिहार) :

اپ سبھا اھدیکش مہودے - میں بہت ھی دکھ کے ساتھ کہتا ھوں کہ آخر یہ خون کی ھولی کب تک ھندوشتان میں کھیلی جائیگی- کتنے شرم اور افسوس کی بات ھے کہ پولیس لاکھاپ - میں کلکٹر اور ایس پی موجود ھیں - [دونوں کی موجودگی میں قائدر ازیں جیسے آدمی کو مارا جاتا ھے - پہلے انکے پاؤں توڑے جاتے ھیں - انکے ھاتھ توڑے جاتے ھیں - ھٹلر کے جرمن میں ایسا ظلم نہیں ھوا تھا - جتنا آج ھمارے ملک میں ھورھا ھے آخر کب تک مسلمان اس ملک میں کیڈٹ - کتے اور بلی کی طرح مارے جائیں گے - کب تک قانون سوتا رھے گا - کب تک انسانیت سوتی رھے گی آج دیش کے سامنے یہ سب سے بڑا سوال ھے یہ ھندو اور مسلمان کا سوال نہیں ھے - یہ ھندوستانیوں کا سوال ھے - جب بھی ملک پر حملہ مسلمان کسی سے پیچھے نہیں رھے - آزادی کی لڑائی میں بھی کسی سے پیچھے نہیں رھے لیکن آج اپنے ملک میں انکو مارا جاتا ھے - پولیس لاکاپ میں مارا جاتا ھے - اسلئے میں بہت افسوس اور سنجیدگی کے ساتھ سرکار سے پوچھنا چاھتا ھوں - کہ آخر یہ خونی ڈرامہ کب بند ھوگا - کب ھمارے بچے اپنے ملک اپنا کو اپنا ملک سمجھے گے - کب تک ھمارے بچے اس طرح مارے جائیں گے - چاھے ھندو بھائی کا ھو یا مسلمان کا ھو - سوال ھندوستان کا ھے - اگر کسی مسلم بھائی کا گھر جلتا ھے تو ھندوستان کا گھر جلتا ھے - اگر کسی ھندو بھائی کا گھر جلتا ھے تو بھی ھندوستان کا گھر جلتا ھے - کب تک یہ گھر جلتے رھیں گے - کب تک یہ ملک جلتا رھے گا - پہلے ھم انگریزوں کو کہتے تھے کہ یہ فساد کراتے ھیں - لیکن اب انگریز کی کون سی ناجائز اولاد فسادات کراتی ھے - اسکی تحقیقات کی جائے -

اسلئے سوال یہ ھے کہ اگر ھندو مسلم سکھ عیسائی یہ سب آپس میں بھائی بھائی نہ رھیں - لڑتے رھیں تو ملک کا کیا حشر ھوگا - شاید-ساتھ جب کے ھم دیکھ رھے ھیں- کہ دنیا کی تمام بڑی طاقتیں اس ملک کو کمزور کرنے میں لگی ھوئی ھیں اور اس وقت ھم لوگ اپنے میں لڑیں تو اس سے زیادہ شوم کی بات کچھ نہیں ھوسکتی ھے -

ایک آدمی اگر مارا جاتا ہے تو پوری منسٹری اپکی حرکت میں آجاتی ہے - لیکن یہاں سامو ہک قتل ہوتے ہیں اور وہ لوگ قتل کرتے ہیں جنکے ہاتھ میں زمہداری ہے بچانے کی قتل کرنے کی نہیں - اسے لوگوں کے خلاف اسپیشل کورٹ کرے تواعمل کیجئے اور ایک یا دو افسروں کو بھی سزا دیجئے - اگر ہم آئم پی - لوگ بھی ذمہدار ہیں تو ہم کو بھی سزا دیجئے قاتل قاتل ہے چاہے وہ افسر ہو - ایم-ایل-اے- ہو - ایم-پی- ہو یا منسٹر ہو - اسکو سزا ہونی چاہئے - ایک مرتبہ کرائی کے سانھ آپ سزا دیجئے - تو آئندہ پھر کسی کی اس طرح سے حرکت کرنے کی ہمت نہیں ہوگی -

میں اسلئے سرکار سے انصاف چاہتا ہوں - بنارس کا معاملہ ایک ہمارا پہلا معاملہ ہے - اور وہ ایک دھارمک پلیس ہے - جہاں ادھارمک کام ہورہا ہے - شری رام چندر جی کے نام پر راون کا کھیل ہو رہا ہے ایسے کھیل کو بند کرنا چاہئے - ملک کی خاطر

اور دھرم خاطر -

انھیں الفاظ کے سانھ - ہمارے دھرم منسٹر صاحب یہاں موجود ہیں میں ان سے چاہونگا کہ بنارس کا ٹیسٹ کیس میں - اور آئندہ کیلئے ملک سے فسادات کو ختم کیجئے - اور چاہے اس میں جو بھی ملزم ہوں انکو سزا دیجئے - ا

میں چند باتیں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں - چائے چھوٹے میں ہو - چاہے علیگڈھ - کانپور یا بنارس میں ہو - ہمیشہ پی-اے-سی- نے خونی ڈرامہ کھیلا ہے - اور پی-اے-سی کے خلاف آج تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے - کیا انکو چھوٹ ہے - کہ جیسے چاہیں قانون ہاتھ میں لیں - کیا یہ کانون کی بندش میں نہیں ہیں - آخر یہ فورس کب تک اس طرح سے ناجائز طور پر کام کریگی - اسلئے بہت سوچنے کی بات ہے -

پی کی پولیس جو ہے اسکو کہا ہے کانجین اِف لیگی تو لا اینڈ - آرڈر جب وہ اپنے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر تو کا کہیں -

دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جوڈیشیس انکوائری پر تو آپ ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے - ہندوستان کے مسلمان کو - میں بہت صاف طریقہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جوڈیشیل انکوائری پر کوئی طریقہ نہیں ہے - یہ تو صرف ٹالنے کی بات ہے - واقعی اگر سرکار چاہتی ہے - پی-ڈی-پی سرکار کی نیت واقعی اگر صحیح ہے یو-پی میں تو اسپیشل کورٹ کرے - اور چاہے کلکٹر ہو - ایس-پی- ہو جس نے بھی فساد کیا ہو - یا کرایا ہو ان سبکو ملزم کی حیثیت سے نرایل ہونا چاہئے - کب تک مارنے والا قاتل ہے نہ وہ مسلمان ہے نہ ہندو- وہ قاتل ہے - اور قاتل کو سزا ہونی چاہئے -

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh); Sir, it is mentioned in the statement that the curfew was relaxed... (Interruptions)

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Sir, it is already 6 o'clock. Keep it for tomorrow.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Sir, it is already 6 o'clock. Continue it tomorrow. (Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): It is such a serious matter that I think the hon. Members will have that much patience to listen to two more Members so that the Miinster can reply today. *(Interruptions)*

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Sir, it is mentioned in the statement that the curfew was relaxed on the 11th November and that violence erupted again on the 13th November. So, it appears that there is a failure of the Intelligence Department to assess the situation thereby the relaxation of the curfew was followed by an eruption of violence. It is also mentioned

that a bomb was thrown at *6.00 P.M.* (city) at Varanasi. It shows 6.00 P.M. THE ADM (CITY)AS WELL AS SP

the serious laxity on the part of the Intelligence Department as well as the Government. It is mentioned that illicit arms, ammunitions and explosives were seized. How many of them were seized? From whom were they seized? I would like to know from the hon. Minister. Among the arrested persons there is break-up according to the communities. It is also mentioned that 17 persons were killed and 26 persons received injuries during this period. I want to know who are these 17 and 26 persons and to which community they belong. It is also mentioned in the statement that ex-gratia amount is Rs. 20,000 to Rs. 1000. I would like to suggest that the rate of inflation may also be taken into consideration while fixing ex-gratia to the breaved as well as to the injured.

Sir, it is also mentioned that the Centre shares its intelligence with the States and provides Central forces when necessary. In this particular incident, did the Centre and the State Government share the intelligence with each other? If so, when? What intelligence the Central Government shared with the State Government? 1 would like to know this from the hon. Minister.

It is also mentioned in the state ment that in the recent weeks, it has been alerting the States about the possibility of communal vio lence in different places. Is there an indication that communal violence is about to break out *in* different parts of the country? If so, which are those States where the Central Government is suspecting such violence, that communal violence is about to break out in the country?

It is mentioned in the statement that the National Integration Council called upon all concerned to act with restraint and in a manner that will promote harmony and goodwill among all communities. I believe that the BJP is also a party to the resolution appealing to the nation to maintain communal harmony and goodwill among all communities. But at the same time, the BJP, is on record, reiterating their stand to construct Ram temple. Are they serious about this resolution? Are they abiding by the resolution? Are they abiding by the election manifesto? I would like to seek clarification from the Government about the thinking of the BJP as well as the resolution of the NIC. Did the Government point out any Bajrang Dal, RSS or VHP activists in the incident? If so, what steps have been taken?

It is also mentioned in the statement that a judicial inquiry is being ordered. I want to know what are the terms of reference. Who is the Judge? Is he a retired Judge or an acting Judge of the High Court or the Supreme Court? What is the timeframe to publish the report? I would like to know from the hon. Minister.

[Shri Yelamanchili Sivaji]

On the other hand, in some States like Andhra Pradesh, communal violence took place and several people have been murdered. It is established that it was the handiwork of people to settle internal scores of the Congress party. The then Chief Minister..

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: No. Who established it?

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Dr. M. Chenna Reddy, the then Chief Minister, went on record that it was the handiwork of the dissident Congress activists in Andhra Pradesh which resorted to communal violence and killings.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): It is not relevant to the subject.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): Please seek your clarifications.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Under these circmstances what proposal are there with the Union Government so that thes,e incidents may recur? What has happened in Hyderabad, what has happened in Varanasi should not happen in other places of the country. Let this not erupt in other parts of the country. These are my clarifications.

श्री अनन्त राम जायसवाल :(उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, मृतकों और घायलों के प्रति सवेदना व्यक्त करते हुए और वाराणसी के दंगों की कड़े शब्दों में भर्त्सना और निंदा करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर बनारस में अगर एक साल नहीं तो हर दूसरे, तीसरे, चौथे साल बराबर दंगे होते रहे हैं और खुसुसन उन्हीं जगहों पर जहां कि इस दफे दंगे हुए । अगर इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रख कर बनारस के पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी संचेत और सावधान रहते तो मेरा निवेदन है कि ये दंगे कभी नहीं होते । जो स्टेटमेंट आया है उसी से जाहिर होता है कि वह सावधान नहीं थे । मैंने अर्ज किया शायद आपने सुना नहीं कि बनारस में दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन को लेकर हर साल या दूसरे, तीसरे या चौथे साल बराबर दंगे होते रहे । बीसों साल से तो मैं खुद इसको जानता हूं । अगर इस पृष्ठभूमि को और खसुसन इन्हीं मुकामात पर जहां पर सब दंगे हुए अगर इस पृष्ठभूमि को वहां के प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी ध्यान में रखते और सचेत और सावधान रहते तो मेरा हिम्बल सबमिशन है कि ये दंगे कभी न होते ही नहीं और जहिर है कि वह नहीं रहे । क्योंकि दंगे शुरु होते हैं 8 तारीख को और 8 तारीख के बाद फिर 13 तारीख को और 13 से लेकर 18 तक छुट-पुट घटनाएं तो इतने लंबे अर्से तक दस-दस दिनों तक दंग होते रहे । वह भी जाहिर करता है कि यहां के प्रशासनिक अधिकारी सचेत नहीं थे, सावधान नहीं थे । मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री जी वहां के एम०पी०, एस०एस०पी०, कलैक्टर, कमिश्नर और वहां उस मंडल के जो डी०आई०जी० हैं, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करेंगे या नहीं ? क्योंकि उन्होंने चौकसी नहीं दिखाई जो दंगों को रोक सकती थी । दूसरा सवाल यह है कि हमने कभी नहीं सुना कि दुर्गा प्रतिमा में पटाख दागे जाते हैं । अगर पटाखों की नई शुरुआत की जा रही थी तो प्रशासन को उसको रोकना चाहिए था । वह भी नहीं रोके गए ।....(**व्यवधान**)

मौलाना अबदुल्ला खान आजमी : उस जलुस में इस मर्तबा औरतें नहीं थीं।

श्री अनन्त राम जायसवाल : औरतों की हम बात नहीं करते, जब ये घटनाएं रोज होती हैं तो जितना सावधान इनको रहना चाहिए उस तरह से सावधान नहीं रहे । अगर रहे होते तो ये दंगे होते ही नहीं । ...(**व्यवधान**) महिलाएं हों या नहीं हों, कभी रहती हैं, कभी नहीं भी रहती और उन्हीं मुकामात पर ही इस दफ दंग हुए हैं । दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस वहां सचमुच मौजूद थी, कुछ न कुछ तो रही होगी, तो सिनेमा से निकलने वाले जो लोग फूंके गए हैं, इनके नाम आपको बताने चाहिए ? कितने लोग फूंके गए, यह आपको बताना चाहिए

वह आपने नहीं बताए । कृपा करके अपने जवाब में आप रोशनी डालिएगा कि कौन-कौन लोग फूंके गए हैं और वहां पर पुलिस मौजूद थी या नहीं ! पुलिस ने उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की और उस जगह से थाना बहुत दूर नहीं है मैं और जानता हूं बनारस को अच्छी तरह से, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उस जगह से थाना कितनी दूर था ? तीसरी चीज जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह कि डा० अनीस को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं नजीर को भी जानता हूं, उनके घर गया हूं । उनकी मेहमान नवाजी को भी हमने कबूल किया है और ऐसे आदमी मारे जाएं पुलिस हिरासत में और उसके बाद इनका बयान आता है कि one person who was in police custody died in a hospital. अगर आपका यह बयान है तो मेहरबानी करके यह भी बताइएगा कि अस्पताल जब वह पहुंचे हैं तो क्या वह जिंदा थे ? अगर जिंदा थे तो कितनी देर जिंदा रहे और अगर ये मर गए हैं तो आपने कौन सा तीर मार दिया या सरकार ने कि मजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी बैठा दी । आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि सीआरपीसी में इसका प्रावधान है कि जब कोई आदमी पुलिस कस्टडी में मरता है तो Magisterial enquiry is a must. वह तो होती ही है, आप करें या न करें। वह तो कानून बना हुआ है । वह तो होगी ही । उसके अलावा आपने जैसा बताया यहां कि कलैक्टर की मौजूदगी में यह घटना हो गई तो आपने उसको रोकने के लिए उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी साजिश थी, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

आखिरी चीज कमपनसेशन की है, वह मिकदार बहुत कम है । बीस हजार, दस हजार, पांच हजार यह बहुत कम है । इस तरह से मरनेवालों की जान की कीमत नहीं लगानी चाहिए । जैसा कि बताया गया कि मुलायम सिंह सरकार ने एक लाख रुपया दिया, तो आप इस तादाद को बढ़वाने की कोशिश कीजिए । उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव डालिए क्योंकि देशवासियों ने पाकिस्तान बनने पर विश्वास किया था कि अब इस देश में दंगे नहीं होंगे । लेकिन अगर ये दंगे कंटीन्यू करते रहे, हिंदू-मुसलमान इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो मैं कहता हूं कि आपकी पाकिस्तान से कभी दोस्ती नहीं हो सकती और जो लोग यकीन करते हैं कि पाकिस्तान से हमारी दोस्ती हो जाएगी, वह शायद बेवकूफों की जन्नत में रहते हैं । पाकिस्तान जब तक है तब तक हिंदुस्तान से उसके झगड़े चलते रहेंगे और उस झगड़े का कारण है हिंदू मुसलमान फसाद । इसलिए हिंदू-मुसलमान की आपस की दूरी बनी रहेगी और जो लोग उन्हें दूर करते हैं, वे पाकिस्तान की दोस्ती निभा रहे हैं, पाकिस्तान की बल दे रहे हैं क्योंकि जिस दिन पाकिस्तान से हमारी दोस्ती हो जाएगी उस दिन पाकिस्तान का वजूद खत्म हो जाएगा इसलिए दोनों सरकारें लड़ती रहेंगी । इसलिए उस मकसद को पाने के लिए जो कि उस मसविदे में लिखा गया था जबकि पार्टीशन हो रहा था कि वह अखंड भारत की उसी तस्वीर को पेश करेंगे जोकि आरंभ से है और महात्मा गांधी और डा० लोहिया ने जिस हिंदू-मुसलमान एकता की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक करने की कोशिश की थी, तो कभी उन्हें याद कर लिया कीजिए

उपसभापति : श्री एस० ए० बेबी

जायसवाल जी, अब समाप्त कीजिए ।

श्री अनन्त राम जायसवाल : ताकि हिंदू-मुसलमान की एकता बहाल हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मांग करता हूं कि जुडीशियल इंक्वायरी हाईकोर्ट के जज से करायी जाय । इस बारे में अभी बी०जे० पी०के हमारे भाई गौतम जी ने भी कहा है कि अगर हाईकोर्ट के जज से इंक्वायरी की जाए तो हमें एतराज नहीं होगा । आप इसे मान लीजिए और उत्तर प्रदेश की सरकार को सलाह दीजिए कि वह हाईकोर्ट के जज से इंक्वायरी कराए और जसा कि कल्याण सिंह जी का वायदा है वह कोशिश करें और आप उनका साथ दें, उन्हें प्रेरित करें कि उत्तर प्रदेश में दंगेफसाद न हों क्योंकि वह देश की एकता के लिए बहुत जरूरी हैं । धन्यवाद ।

SHRI TINOIVANAM G. VENKATRAMAN (TAMIL NADU): I fully

[Shri Tindivanam G. Venkataraman]

endorse the opinion of the hon. Members in condemning the communal riot that took place in Varanasi resulting in the loss of a number of lives. The igniting cause for this riot was a cracker injuring one community member in the course of a procession taking a Kali idol for immersion. As Indians, one and all of us should hang our heads in shame at these communal riots which started from the murder of the Father of the Nation. Political philosophers and active politicians preach sermons. But when it comes to a question of practice, it is otherwise. Now the prime cause for all these communal riots is the lethargic attitude of the law and order machinery, which should protect us and take preventive measures when festivals and processions take place in a locality or a State. My first question to the hon. Minister is: There is no mention about any preventive measures, if any, taken by the law and order machinery in this case. If such preventive actions had not been taken by the poice, those responsible for such callousness should be dealt with severly so that, in future, at least preventive measures and security measures would be taken which would save the people from such communal riots and loss of lives.

This incident took place on 8th November and it is reported that four persons died on the spot and four persons were fatally injured and expired in the hospital. Under the circumstances, where was the urgency to relax the curfew within 2 days? Those who were responsible for such recklessness in the administration of law and order must be kept under suspension and also they must face criminal charge under Section 302 as well as abetment of murder so that, in future, this negligence in administration will not be there. Also, there is no mention about whether any peace committee has been constituted so that disharmony could be defused. There is no mention about this in the statement made by the Minister, No such peace ocmmittees have been constituted. Those persons who have not actively contributed towards defusing communal disharmony should also be taken to task.

According to the statement of the hon. Minister, roughly, equal number of persons belonging to both sides — 302 and 315 — have .been arrested. But how many people have been chargesheeted? Arresting people is one thing. Chargesheeting them is a different thing. There is no mention about this.

The incidents contained up to the 18th November. Sir, deaths in police custody have become the order of the day. The latest one which is fresh in our minds, is the death of Sharnnu-gam, who died in suspicious circumstances. He was arrested in connection with the Rajiv Gandhi assassination case. Therefore, there should be a special law and there should be stringent punshment to the errng offi-cals so that they are deterred from doing such things. Of course, the law is there, but it is not enough to punish these people. Many such deaths in police custody are being reported. This is also discussed in this august House many times. But there is no change at all. We have seen it. That is why I am referring to it. This Shanmugam was arrested in connection with the sensational Rajiv Gandhi assassination case.

Therefore, Sir, all these things should be taken into consideration. The National Integration Council, which met recently, discussed the question of communal harmony. But Varanasi has shattered the hopes of the people who are committed to maintain communal harmony.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, this very statement shows the helplessness of the Central Government in the face of this spreading communal violence. The Central Government is absolutely helpless. You have been giving guidelines. What is the use of these guidelines if people do not follow them? What is the role of the Central Government? One cannot feel satisfied that guide-

lines have been issued. People flout these guidelines. They flout the auth ority But the Central Government is not in a position to take any action. It is absolutely helpless. After seeing the statement, to my mind, it appears that the Central Government is completely helpless.

SHRI RAM NARESH YADAV: What should be done then?

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: You ask for powers. We are. here, ready to give you more powers so that these communal elements can be crushed. We, Members of Parliament, are ready to give you more powers. We have suffered the partition of the country. We have seen the gruesome murder....

SHRI V. NARAYANASAMY: Then, your Party would say that the Central Government is encroaching upon' the powers of the States.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY: It is a question of crushing the communal virus which is spreading in the country, insidously distorting the very life of our people. I think, the Central Government has got a great responsibiity in this.

Mention has been made about the death of an honuorable citizen in Varanasi. He died in the hospital, while in police custody. Is it not a pointer that something ghastly is going on in Varanasi? Something ghastly is going on there. When a honourable citizen, who has contributed to the * betterment of the city, finally finds himself in police cusody, it shows that something has gone wrong. I do not know what the auth-orities were doing. They have neglec-lected their duties. They have not followed the guidelines. They have not done anything to maintain peace in that city. Particularly, when a religious procession is taken out, be-forehand, there shoud be a meeting called of the leaders of the various communities and the route and other conditions should be laid down. In this case, I think, such a preliminary thing has not been done. The officers who are responsible for this should be punished. The punishment should be very very harsh. So many deaths have taken place.

What happened to the proposal of setting up an anti-riot force? We have seen that police themselves take part in communal riots. This has been discussed upteen number of times. In U.P., the Provincial Armed Constabulary itself takes part in the riots and does the killings. The Central Government took a decision long back to form an anti-riot force, which will be a secular force, it will be a tool in the hands of the Central Government to crush these reactionary forces, these reactionary elements, whenever such a situation develops. Why has the Central Government failed in its responsibility? Why can't such a force be formed, what is the difficulty? I would like to seek clarification on all these points from the hon. Minister.

श्री सैयद सिब्ते रजी (उत्तर प्रदेश) : मिस्टर वाइस चेयरमैन साहब, हालात और तारीख को देखते हुए ऐसा लगता है कि फसादात और साम्प्रदायिक दंगे हमारे मुकद्दर बन चुके हैं। किन्हीं वजुहात से कब-कब फसादात इस मुल्क में हुए, इस पर जाने में बहुत वक्त लगेगा और मैं जानना चाहता हूं कि आपने मुझे बड़ी मेहरबानी करके बहुत ही थोड़ा वक्त दिया है। दुख और अफसोस की बात उस वक्त हो जाती है जब हम देखते हैं कि जम्हूरियत, लोकतंत्र और प्रजातंत्र का सहारा लेकर कोई भी सरकार जब सत्ता में पहुंच जाए किसी भी पार्टी की, और वह वहां पहुंचकर जो हमारी लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं जम्हूरी, उन सब को ताक पर रख दे और इस बात का प्रचार और प्रसार करने में लग जाए कि वह एक धर्म या एक मजहब के राज की स्थापना की शुरूआत करने जा रही है, तो निश्चित रूप से माहौल बड़ा गन्दा होगा और माहौल व वातावरण में बड़ा तनाव पैदा होगा। आज पूरा देश ऐसे माहौल और वातावरण से गुजर रहा है, केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी ऐसे माहौल में बहुत ज्यादा

[श्री सैयद सिब्ते रजी]

हो जाती है कि किस प्रकार से हम अपने संविधान को, अपने सेक्युलरिज्म के अज़ीम मकसद को और किस तरह से मुल्क के अंदर जम्हूरी कदरों को, लोकतांत्रिक मान्यताओं और पद्धति को जिन्दा रख सकेंगे, एक धर्म और मजहब का सवाल उठाकर जो लोग बात करते हैं, वे यह नहीं जानते कि धर्म और मजहब के बाद जातियां, छोटी जातियां, बड़ी जातियां, इन्टर कास्ट, कास्ट, ये सारे बातें उभर कर आती हैं, तो हम उस रास्ते पर जा रहे हैं जो रास्ता हमारे मुल्क को मुतहित रखने के लिए एक बड़ा गंभीर रास्ता बन सकता है, इस बात पर हमें गौर करना होगा.

मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इससे पहले एक यात्रा इस देश के अंदर हुई और उस यात्रा के बाद में जो इस मुल्क में बैक क्लैश हुए, उससे बहुत सारे बनारस बने, जहां पर दंगे हुए वहां पर बहुत नुकसान हुआ अल्पसंख्यक का बड़ा नुकसान हुआ, बहुसंख्यक का भी बड़ा नुकसान हुआ, इसलिए एक पार्टी की तरफ से, बी०जे०पी० पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से जो एक नई यात्रा फिर निकाली जा रही है और खुशकिस्मती से या बदकिस्मती से उसका नाम सद्भावना यात्रा रखा गया है, उससे भी हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि राजनीतिक फायदा उससे उठाने की कोशिश की जा रही है, महाहिम राष्ट्रपति जी का नाम उस यात्रा से जोड़ने का काम किया जा रहा है जो अभी तक हमारी परिपाटी नहीं रही है, हमने हमेशा राष्ट्रपति को राजनीति से ऊपर रखने की कोशिश की है। पिछली यात्रा, जो उस वक्त के बी०जे०पी० अध्यक्ष के नेतृत्व में हुई थी, उसमें कितने बैक क्लेश, कितने फसादात्, कितने रायट्स हुए और उसकी जिम्मेदारी केवल बी० जे०पी० की नहीं है, मैं इस सदन में जो बहुत सारी तकरीरें हुई हैं, उनका उद्धरण देते हुए कहना चाहूंगा कि उसकी जिम्मेदारी जनता दल पार्टी की भी थी और यह सारा माहौल जो मुल्क में खराब हुआ, यह सारा 1989 के इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हुआ था। कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनाने की कोशिश की गई थी, बनारस के अंदर भी, मान्यवर, जो फसादात् हुए हैं और जिसका विवरण मान्यवर पाण्डेय जी ने रखा कि उस सदन के एक माननीय सदस्य विशेष तौर से बनारस पहुंचे और वहां के चुने हुए जो लोक सभा के प्रतिनिधि थे, उनके साथ बैठकर के एक षड्यंत्र किया गया, एक साजिश की गई कि किस तरह से माहौल को गर्म किया जाए। आज दुख की बात है कि लोकतंत्र एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां चुनाव को दृष्टि में रखकर हम जान का सौदा कर रहे हैं, लोगों को जिंदगी का सौदा कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी और खून से होली खेलते हैं।

मैं, मान्यवर, माननीय मंत्री जी से केवल इतना जानना चाहूंगा कि यह समरी ट्रायल कोर्टस और रॉयट्स के सिलसिले में जो अदालतें बनाए जाने की बात है, वह कब तक पूरी होगी?

श्री रफीक आलम : स्पेशल कोर्टस।

श्री सैयद सिब्तेरजी : स्पेशल कोर्टस। क्योंकि अभी तक जितने भी बड़े लोग हैं, उन पर हाथ नहीं पहुंच पाता और बहुत कम प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने दंगे में ग्रस्त पाए गए लोगों के खिलाफ कदम उठाए हैं। हमें खुशी है कि हमारे देश की ज्युडिश्यरी ने अपने दायित्वों को पूरा किया है। बम्बई हाई कोर्ट के कई जजेज ने ऐसे फैसले दिये हैं जिसमें इस बात को उन्होंने साबित किया है कि अगर चुनाव के अन्दर साम्प्रदायिकता का सहारा लिया गया है तो चुने गये प्रतिनिधि को अन-सीट किया गया है। हमारी सरकार को भी इस सिलसिले में तेजी लानी चाहिये, स्पेशल कोर्ट इस सिलसिले में बनाये जाने चाहिये समरी ट्रायल होना चाहिये और इसी के साथ-साथ एंटी राईट फोर्स जो हो हुद सारी जातियों और सारे धर्म के लोगों पर आधारित हो। आज हमारे देश के प्रशासन के साथ सबसे बड़े दुख और सबसे बड़ी दुर्घटना है कि यदि एक

व्यक्ति का भी प्रशासन के ऊपर से विश्वास उठ जाता है तो यह हमारे पूरे प्रशासनिक ढांचे पर से विश्वास उठ जाने की बात है। यह अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में इसको नहीं बांटना चाहते, लेकिन कहीं भी पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन किसी जाति या किसी धर्म के प्रभाव में आकर अपने को चलाने का प्रयास करेगा तो नतीजा ऐसा ही होगा जैसा बनारस में हुआ या दूसरे जिलों के अन्दर ऐसा होता रहता है। इसलिये हमें ऐसी फोर्स को जिसके बारे में लोगों के मन में विश्वास नहीं है, जिसके पहुंचते ही लोगों के मन में इस बात की भावना पैदा होती है कि हमें किसी न किसी तरह इस फोर्स से लड़ना है, टकराना है वह फोर्स की ज्यादती के बाद या फोर्स की ज्यादती से पहले। इसलिये ऐसी साफ-सुथरी फोर्स बनानी चाहिये और संवेदनशील इलाकों में सरकार की तरफ से चाहे प्रदेश सरकार की तरफ से जरूरत तो भेजी जाये या मुख्य रूप से केन्द्र सरकार को इस दायित्व को निभाना चाहिये और ऐसी जगहों पर जहां भी आग लगी हो, जहां पर पुलिस, प्रशासन में कहीं साम्प्रदायिकता का जहर पहुंच चुका हो शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार की फोर्स भेजनी चाहिये। इसलिये मैं माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि स्पेशल अदालतें और यह मिलीजुली रिपोर्ट टाईम-बाउंड प्रोग्राम के अन्तर्गत कब तक आप ला रहे हैं जिससे इस देश के लोगों का विश्वास और ज्यादा कम्युनलिज्म के खिलाफ और देश की सैक्युलर फोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा बढ़ सके। थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. A. BABY): The Minister will reply tomorrow soon after the Question Hour. Now the House stands adjourned till 11 a.m. on 26th November.

The House then adjourned at twenty-seven minutes past, six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 26th November, 1991.